[2018] 11 एस. सी. आर 586

मेजर किसान शक्ति संगथन

वी.

भारत संघ और ए. एन. आर.

(2017 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1153)

23 जुलाई, 2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

भारत का संविधानः

कलाएँ। 32 , 19 (1) (क) और 19 (1) (ख)-विरोध करने का अधिकार

शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा हों-बार-बार लगाए गए पुलिस आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाएं लिखें। 144 Cr.P.C. जिसके द्वारा मध्य दिल्ली क्षेत्र को रखने के लिए निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया था

सार्वजनिक सभाएँ, धरना, शांतिपूर्ण विरोध; जंतर मंतर मार्ग पर प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने/प्रतिबंध लगाने के एनजीटी के आदेश को रद्द करना; और सार्वजनिक सभाएँ, धरना आयोजित करने के लिए दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के लिए आदेश पत्र जारी करना-आयोजितः लोगों का शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शन आदि करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी यू/आर्ट द्वारा दी गई है। 19 (1) (क) और 19 (1) (ख)-शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शनों को सुरक्षित और विनियमित तरीके से अनुमति दी जा सकती है। प्रदर्शनकारियों को अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो-प्रदर्शनकारियों और निवासियों दोनों के अधिकारों में संतुलन हो-काफी समय से जंतर मंतर को प्रदर्शन करने के लिए एक स्थान के रूप में चुना गया है और अधिकारियों द्वारा भी निर्धारित किया गया है-हालाँकि, जुलूसों, प्रदर्शनों और आंदोलनों आदि के परिणामस्वरूप दयनीय परिस्थितियाँ पैदा हुईं क्योंकि अधिकारियों ने ऐसे प्रदर्शनों आदि के लिए निर्धारित उसी रामलीला मैदान को विनियमित करने के लिए आवश्यक उपाय नहीं किए, हो सकता है कि ऐसा न हो।

इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त-चूंकि, जंतर मंतर अधिकारियों द्वारा चुना गया क्षेत्र था और काफी समय से उपयोग में है, इसलिए इस क्षेत्र के एक सीमित हिस्से को शांतिपूर्ण सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों आदि के आयोजन की अनुमति देकर संतुलन बनाया जा सकता है ताकि निवासियों को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या असुविधा न हो-पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली अन्य संबंधित एजेंसियों के परामर्श से, ऐसे विरोध प्रदर्शनों, प्रदर्शनों यानी जंतर मंतर और बोट क्लब क्षेत्र को विनियमित करने के लिए उचित दिशानिर्देश तैयार करें।

कलाएँ। 19 (1) (क), 19 (1) (ख)-विरोध करने का अधिकार-आयोजितः नागरिकों द्वारा अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना एक

मौलिक अधिकार, यू/Art.19 (1) (ए) और 19 (1) (बी) में निहित, उचित प्रतिबंधों के अधीन, जो के हितों में लगाए जा सकते हैं

भारत की संप्रभुता और अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था-वैध असहमति किसी भी लोकतंत्र की एक विशिष्ट विशेषता है-यह मायने नहीं रखता कि प्रदर्शनकारियों द्वारा उठाया गया मुद्दा सही है या गलत या उचित है या नहीं।

अन्यायपूर्ण-मौलिक पहलू वह अधिकार है जो लोकतंत्र में प्रभावित लोगों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए प्रदान किया जाता है-यह अधिकार भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय संदर्भ में लोगों के अधिकारों के दावे में सहायता करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है।

किसी व्यक्ति का सम्मान उसके द्वारा प्राप्त एक मौलिक अधिकार हो सकता है गारंटीकृत अन्य मौलिक अधिकार के साथ टकराव में आते हैं

प्रधानता का सिद्धांत एक अधिकार को नहीं दिया जा सकता है जिससे दूसरे का अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है-पूर्ण विलुप्त होना संतुलन नहीं है-संतुलन का अर्थ होगा एक वर्ग के एक अधिकार को कुछ हद तक कम करना ताकि दूसरे वर्ग के अधिकार की भी रक्षा हो।

- दो परस्पर विरोधी अधिकारों को संतुलित करते हुए, न्यायालय को व्यापक सार्वजनिक हित की जांच करनी है, जो अंततः प्रबल होगा।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एस। 144 - बार-बार किया।

पुलिस आदेश यू/एस लागू करना। 144 Cr.P.C. जिसके द्वारा मध्य दिल्ली

या शांतिपूर्ण विरोध-आयोजितः ये आदेश उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देते हैं। अवैध होना क्योंकि वे सार्वजनिक सभाओं, पाँच या पाँच की सभा को प्रतिबंधित करते हैं

लिखित अनुमति '-इसके अलावा, ऐसे आदेश इस आधार पर पारित किए जाते हैं - खुफिया रिपोर्टों का जो संकेत देते हैं कि 'की अप्रतिबंधित पकड़

क्षेत्र में सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों, प्रदर्शनों आदि से यातायात में बाधा, मानव सुरक्षा के लिए खतरा और सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी होने की संभावना है-इन आदेशों को पढ़ने से संकेत मिलता है कि सार्वजनिक रूप से आयोजित करने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।

बैठकें, जुलूस, प्रदर्शन आदि-इस तरह की गतिविधियों को व्यापक जनहित में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और इसलिए, किसी भी समूह [2018] 11 एस. सी. आर.

यदि कोई व्यक्ति या व्यक्ति ऐसा कोई जुलूस और धरना देना चाहता है, तो उसे पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी-इसके अलावा, बार-बार आदेश यू/एस पारित किया। 144 निरंतरता में, निरंतरता की स्थिति पैदा की है-यू/एस जारी किए गए आदेश। 144 कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करें

बिना अनुमति के प्रदर्शनों आदि की प्रकृति, जिसका अर्थ है कि कुछ मामलों में अनुमति दी जा सकती है-हालाँकि, वास्तव में ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं है और इसलिए, जो स्थिति पैदा होती है, वह इन सार्वजनिक सभाओं, प्रदर्शनों, धरना आदि को 'विनियमित' करने के बजाय पूरी तरह से 'प्रतिबंधित' करने के बराबर है।

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की कुछ श्रेणियां और

सुरक्षित और विनियमित तरीके से प्रदर्शनों की अनुमति दी जा सकती है ताकि प्रदर्शनकारी अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें और साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवासियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य आधिकारिक उत्तरदाता उचित रूपरेखा बना सकते हैं।

जंतर मंतर और बोट क्लब क्षेत्र में इस तरह के विरोध प्रदर्शनों, प्रदर्शनों आदि को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश। [पैरा 62,70] [640-ई-एफ; 643 जी-एच]

2.1 नागरिकों द्वारा अपनी शिकायतों को प्रसारित करने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना और यह सुनिश्चित करना कि इन शिकायतों को संबंधित हलकों में सुना जाए, इसका मौलिक अधिकार है। यह अधिकार विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (1) (बी) के तहत निहित है। अनुच्छेद 19 (1) (ए) एक भिन्नता प्रदान करता है

नागरिकों पर मूल्यवान अधिकार, अर्थात् अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसी तरह, अनुच्छेद 19 (1) (बी) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार देता है। एक साथ, ये दोनों अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि इस देश के लोगों को शांतिपूर्वक इकट्ठा होने और किसी भी कार्रवाई या निर्णय के खिलाफ विरोध करने का अधिकार है।

सरकार या अन्य सरकारी प्राधिकरण जो पसंद नहीं करते हैं। वैध असहमति किसी भी लोकतंत्र की एक विशिष्ट विशेषता है। सवाल यह नहीं है कि क्या मुद्दा उठाया गया है प्रदर्शनकारी सही या गलत हैं या यह उचित या अनुचित है। मौलिक पहलू वह अधिकार है जो लोकतंत्र में प्रभावित लोगों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए प्रदान किया जाता है। असहमत लोग अल्पमत में हो सकते हैं। उन्हें अपने महान किसान शक्ति संगठन v को व्यक्त करने का अधिकार है।

दृश्य। एक विशेष कारण जो पहली बार में प्रकट हो सकता है।

महत्वहीन या अप्रासंगिक होने से गति मिल सकती है और

स्वीकार्यता जब इसे विधिवत आवाज दी जाती है और बहस की जाती है। यही कारण है कि इस न्यायालय ने हमेशा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित प्रदर्शनों और विरोध के मूल्यवान अधिकार की रक्षा की है। [पैरा 48] [628-बी-ई]

2.2 विरोध करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।

संविधान के तहत। यह अधिकार एक ऐसे लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है जो शासन में एक जानकार नागरिक की भागीदारी पर आधारित है। यह अधिकार भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रतिनिधि लोकतंत्र को मजबूत करता है।

सार्वजनिक मामलों में प्रत्यक्ष भागीदारी को सक्षम करके जहां व्यक्ति और समूह असहमति और शिकायतों को व्यक्त करने में सक्षम हैं, शासन में खामियों को उजागर करते हैं और राज्य अधिकारियों के साथ-साथ एक शक्तिशाली संस्थाओं से जवाबदेही की मांग करते हैं। यह अधिकार भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण है।

हाशिए पर पड़े और कम प्रतिनिधित्व वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों के समर्थन में सहायता करना। साथ ही, अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (1) (बी) के तहत उक्त अधिकार अपने दायरे में अनियंत्रित और असीमित नहीं हैं। अनुच्छेद 19 (2) से (6) एक विशिष्ट प्रावधान करता है - ऐसे अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध प्रदान करने वाले अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाना। उक्त प्रावधानों से यह समझा जा सकता है कि खंड (ए) में प्रदत्त बोलने के अधिकार और खंड (बी) में शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने के अधिकार का प्रयोग उचित प्रतिबंधों के अधीन किया जाता है, जिन्हें अन्य बातों के साथ-साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में लगाया जा सकता है। [पैरा 54-56] [632-D-G; 633-C]

2.3 प्रदर्शनकारियों का अधिकार यू/आर्ट। 19 (1) (ए) और 19 (1) (बी) और निवासियों के अधिकार यू/आर्ट। 21 दोनों को संतुलित करना है अधिकार मौलिक अधिकार हैं। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ दो मौलिक अधिकारों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। स्थिति अंतर-मौलिक अधिकारों, अंतर-मौलिक अधिकारों पर टकराव हो सकती है और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, किसी व्यक्ति के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त एक मौलिक अधिकार उसके लिए गारंटीकृत अन्य मौलिक अधिकार के साथ टकराव में आ सकता है। ऐसी सभी स्थितियों में, न्यायालय को इस बात की जांच करनी होती है कि दोनों परस्पर विरोधी अधिकारों को संतुलित करते हुए व्यापक सार्वजनिक हित कहां निहित है। यह सर्वोपरि सामूहिक हित है जो अंततः प्रबल होगा। [पारस 57-58] [633-E-H] [2018] 11 एस. सी. आर.

2.4 लोगों का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार और

प्रदर्शन आदि अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (1) (बी) के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है। एन. जी. टी. द्वारा दिया गया विस्तृत तर्क कि जिस तरह से प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है

हो रहा है जो गंभीर असुविधा और उत्पीड़न पैदा कर रहा है

निवासियों को स्वीकार किया जाता है। साथ ही, यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि काफी समय से जंतर मंतर को प्रदर्शन करने के लिए एक स्थान के रूप में चुना गया है और इसे अधिकारियों द्वारा भी निर्धारित किया गया था। प्रधानता का सिद्धांत एक अधिकार को नहीं दिया जा सकता है जिससे दूसरे का अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। पूर्ण विलुप्त होना संतुलन नहीं है। संतुलन का अर्थ होगा एक वर्ग के एक अधिकार को कुछ हद तक कम करना ताकि दूसरे वर्ग के अधिकार की भी रक्षा की जा सके। [पैरा 61] [639-डी-जी] 2.5 जुलूसों, प्रदर्शनों और आंदोलनों आदि के परिणामस्वरूप जो दयनीय स्थितियां पैदा हुईं

जंतर मंतर मुख्य रूप से इस कारण से था कि अधिकारियों ने इसे विनियमित करने के लिए आवश्यक उपाय नहीं किए। यदि अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और पर्याप्त कदम उठाए जाते कि इस तरह के धरने और प्रदर्शन उनकी सीमा के भीतर आयोजित किए जाएं, तो यह प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ निवासियों के अधिकारों को भी संतुलित करता। उदाहरण के लिए, धरना और विरोध प्रदर्शनों को लगभग पूरे जंतर मंतर मार्ग पर, दोनों तरफ और यहां तक कि सड़क की चौड़ाई तक फैलाने की अनुमति दी गई थी। इसके बजाय, इस उद्देश्य के लिए एक विशेष क्षेत्र निर्धारित किया जा सकता था,

घरों आदि से पर्याप्त दूरी बनाए रखें ताकि सड़कों और रास्तों में अनावश्यक रुकावट न आए। इसी तरह,

प्रदर्शनकारियों को बिना रुके नारे लगाने की अनुमति दी गई, यहाँ तक कि

विषम समय पर, रात में, और वह भी लाउडस्पीकर आदि के उपयोग के साथ। अधिकारी यह सुनिश्चित कर सकते थे कि इस तरह के नारे ध्वनि प्रदूषण मानदंडों के मापदंडों के भीतर हों और रात के समय या सुबह के समय कोई चिल्लाहट या नारे न हों। फिर से, इन धरनों, आंदोलनों और जुलूसों को कुछ अवसरों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, जब भी कुछ विदेशी गणमान्य व्यक्ति उक्त क्षेत्र या ऐसे अन्य संवेदनशील अवसरों पर जाते हैं और गुजरते हैं। अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रदर्शनकारी अपने ट्रक/बसें आदि न लाएं। और उन वाहनों को आवासीय भवनों में और उनके आसपास पार्क करें; प्रदर्शनकारियों को अपने तंबू लगाने और कई दिनों तक एक साथ रहने की अनुमति नहीं है; मेजर किसान शक्ति संगठन बनाम।

इस तरह के प्रदर्शन की अनुमति देते समय, उन प्रदर्शनकारियों की संख्या की जांच करें जो भाग लेने की संभावना रखते हैं और मना कर सकते हैं जब संख्या असामान्य रूप से बड़ी होने वाली हो तो इस तरह के किसी भी प्रदर्शन आदि को आयोजित करने की अनुमति, जिसकी अनुमति देने पर, निवासियों के लिए विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ पैदा होंगी। निश्चित रूप से

शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शनों की श्रेणियां, एक सुरक्षित में

और विनियमित तरीके से अनुमति दी जा सकती है ताकि प्रदर्शनकारी अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें और साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवासियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। [पैरा 62] [639-जी-एच; 640-ए-एफ]

2.6 दो अधिकारों के संतुलन के पहलू पर चर्चा करते समय, कुछ प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखना होगा। होना ही चाहिए।

उपलब्ध है। रिट याचिका में याचिकाकर्ता और अपील में अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह है कि रामलीला मैदान नई दिल्ली क्षेत्र के उस हिस्से से बहुत दूर है जहां 'शक्ति' का केंद्रीकरण है और इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है और रामलीला मैदान में किसी दूर के स्थान पर प्रदर्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। इस बात पर जोर दिया गया कि इस तरह के प्रदर्शनों को आयोजित करने और नारे लगाने का उद्देश्य यह है कि वे संबंधित व्यक्तियों तक पहुँचें जिनके लिए ये हैं। यह सही हो सकता है। हालांकि, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रौद्योगिकी के युग में जहां व्यक्तियों के एक समूह द्वारा एक संबंधित आवाज हो सकती है

कई तरीकों से सही स्थानों तक पहुँचें। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोशल मीडिया और विभिन्न अनुप्रयोग जैसे 'वॉट्सऐप', 'ट्विटर', 'इंस्टाग्राम' आदि जो इस तरह की घटनाओं को फैलाने में समय नहीं लेते हैं। हालांकि विरोध प्रदर्शन करना और

प्रदर्शन एक स्वीकृत अधिकार है, साथ ही, कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि उन्हें केवल एक विशेष क्षेत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार है। जनहित में इस तरह के प्रदर्शनों को विनियमित करते समय, विशेष क्षेत्रों को निर्धारित किया जा सकता है। दूसरी तरफ

साथ ही यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि रामलीला मैदान इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। फिर से, पुरानी दिल्ली में यह जगह बहुत भीड़भाड़ वाले क्षेत्र का एक हिस्सा है और इसकी अपनी सीमाएँ हैं [2018] 11 एस. सी. आर.

जब इस क्षेत्र का उपयोग ऐसे उद्देश्यों के लिए करने की बात आती है। इसलिए, कुछ अन्य क्षेत्र की आवश्यकता है। चूंकि, जंतर मंतर अधिकारियों द्वारा चुना गया क्षेत्र था और काफी समय से उपयोग में है, इसलिए इस क्षेत्र के एक सीमित हिस्से को शांतिपूर्ण सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों आदि के आयोजन की अनुमति देकर संतुलन बनाया जा सकता है।

छोटे समूह और इस तरह से कि जहां तक निवासियों का संबंध है, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या असुविधा न हो। [पैरा 64] [641-बी-जी]

2.7 पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली को अन्य संबंधित एजेंसियों के परामर्श से एक उचित उपाय तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

ऐसे प्रयोजनों के लिए क्षेत्र के सीमित उपयोग के लिए तंत्र लेकिन

यह सुनिश्चित करें कि प्रदर्शनों आदि को इस तरह से विनियमित किया जाए कि ये जंतर मंतर रोड या वहां स्थित कार्यालयों के निवासियों को कोई परेशानी न पहुंचाएं। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए जा सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी विशेष समूह द्वारा इस तरह के प्रदर्शन के आयोजन के लिए पुलिस आयुक्त (या उनके प्रत्यायोजित प्राधिकारी) से आवश्यक पूर्व अनुमति लेने का प्रावधान किया जा सकता है और ऐसे प्रस्तावों की जांच करते समय मानदंड निर्धारित किए जा सकते हैं जिन पर विचार किया जाएगा ताकि यह तय किया जा सके कि अनुमति दी जानी है या नहीं। इस तरह के दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए नई दिल्ली के पुलिस आयुक्त को दो महीने का समय दिया जाता है। [पैरा 65] [641-जी-एच; 642-ए-बी]

2.8 जहां तक प्रदर्शनों के लिए उपलब्ध नौका क्लब क्षेत्र का संबंध है, उत्तरदाताओं ने समान पैमाने पर प्रकाश डाला

संसद भवन, उत्तर और दक्षिण प्रखंडों और अन्य केंद्र सरकार के कार्यालयों से इसकी निकटता के कारण इस क्षेत्र की संवेदनशीलता, जिसमें विदेशी राज्यों के प्रमुखों की लगातार यात्राएं और ऐसे अन्य कारक शामिल हैं। उत्तरदाता भी इंगित करने में उचित हैं

कि इस स्थान पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए बड़ी संख्या में अनुरोध किए जाते हैं। इसके अलावा, खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि अगर इस तरह के कुछ प्रदर्शनों की अनुमति दी जाती है, तो कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। उत्तरदाता इस हद तक भी सही हैं कि इस न्यायालय ने 'स्पष्ट और वर्तमान खतरे की जाँच' को नहीं अपनाया है, जैसा कि अमेरिकी न्यायालयों द्वारा लागू किया गया है, और इसके बजाय यह

यह 'शांति परीक्षण के उल्लंघन की आशंका' है जिसका उपयोग यह तय करने के लिए किया जाना है कि किसी विशेष प्रदर्शन/धरने की अनुमति दी जानी है या नहीं। जब धारा 144 के तहत आदेश पारित किए गए तो किसान शक्ति संगठन बनाम।

भारत संघ और ए. एन. आर.

Cr.P.C. की जाँच इस संदर्भ में की जाती है, हो सकता है कि इस तरह के आदेशों में कोई गड़बड़ी न पाए। ये आदेश, उनके चेहरे पर, प्रतीत नहीं होते हैं

किसी भी अवैधता से संक्रमित क्योंकि वे सार्वजनिक सभाओं, पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, जुलूस, प्रदर्शन, धरना आदि को 'लिखित अनुमति के बिना' प्रतिबंधित करते हैं। इसके अलावा, ऐसे आदेश खुफिया रिपोर्टों के आधार पर पारित किए जाते हैं जो संकेत देते हैं कि 'सार्वजनिक बैठकों का अप्रतिबंधित आयोजन', जुलूस,

और धरना, इसे पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि जब भी ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो प्राधिकरण को इसकी जांच करनी होती है और यह निर्णय लेना होता है कि क्या उसे प्रस्तावित प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा आदि की अनुमति देनी चाहिए या नहीं, इसके संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, अर्थात्, क्या यह यातायात में कोई बाधा या मानव सुरक्षा के लिए खतरा या सार्वजनिक शांति में बाधा आदि पैदा करेगा। यदि किए गए अनुरोधों पर विचार किया जाता है और तब उक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए अनुमति या अस्वीकृत, Cr.P.C की धारा 144 के तहत किए गए इस तरह के आदेश की वैधता के बारे में कोई झगड़ा नहीं हो सकता है। हालाँकि, यह जमीनी वास्तविकता नहीं है। [पैरा 68] [643-बी-डी]

2.10 धारा 144 Cr.P.C के तहत पारित आदेश साठ दिनों की अवधि के लिए मान्य रहता है जो कि निर्धारित सीमा है।

वह प्रावधान। हालांकि, एक आदेश की समाप्ति से ठीक पहले, एक और समान आदेश पारित किया जाता है। इस तरह के बार-बार दिए गए आदेशों ने निरंतरता की स्थिति पैदा कर दी है। उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है

स्थिति, जो इस क्षेत्र की संवेदनशीलता और प्रचलित विशिष्ट/विशिष्ट स्थितियों के रूप में समान रहती है, दोहराए जाने वाले रूप में ऐसे आदेश आवश्यक हैं। भले ही इस स्थिति को स्वीकार कर लिया जाए और उस आधार पर आगे बढ़ाया जाए, इसका मतलब केवल प्रस्तावित सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों का निरंतर विनियमन होगा। 'अप्रतिबंधित' [2018] 11 एस. सी. आर. में इसकी अनुमति नहीं देकर प्रदर्शन, आदि।

तरीके से। हालाँकि, वास्तव में ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं है और इसलिए, जो स्थिति पैदा होती है, वह इन सार्वजनिक बैठकों, प्रदर्शनों, धरनों आदि को 'विनियमित' करने के बजाय पूरी तरह से 'प्रतिबंधित' करने के बराबर है। [पैरा 69] [643-ई-जी]

2.11 पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य आधिकारिक उत्तरदाता विनियमन के लिए उचित दिशा-निर्देश बना सकते हैं।

इस तरह के विरोध, प्रदर्शन आदि। धारा 144 के तहत जारी किए गए आदेश कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं।

प्रदर्शन आदि 'अनुमति के बिना', जिसका अर्थ है कि कुछ मामलों में अनुमति दी जा सकती है। इसलिए, उन मापदंडों को निर्धारित करने के लिए उचित दिशानिर्देश हो सकते हैं जिनके तहत बोट क्लब क्षेत्र में अनुमति दी जा सकती है। यह एक बहुत ही प्रतिबंधात्मक और सीमित उपयोग हो सकता है, क्योंकि उत्तरदाताओं द्वारा बताई गई संवेदनशीलता और यह भी ध्यान में रखते हुए कि रामलीला मैदान उपलब्ध है और कुछ महीनों में जंतर मंतर रोड भी विनियमित तरीके से उपलब्ध होगी। इस प्रकार, प्रस्तावित दिशानिर्देशों में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या को विनियमित करने के प्रावधान शामिल हो सकते हैं।

प्रदर्शन, संसद भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक, सर्वोच्च न्यायालय, गणमान्य व्यक्तियों के आवास आदि से न्यूनतम दूरी निर्धारित करना। जिसके भीतर ऐसे किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी; कुछ मार्गों पर प्रतिबंध लगाना जहां से आम तौर पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, न्यायाधीश आदि गुजरते हैं; विदेश जाने पर किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं देना।

गणमान्य व्यक्ति किसी विशेष स्थान का दौरा कर रहे हैं या विशेष मार्ग से गुजर रहे हैं; आग्नेयास्त्रों, लाठियों, भाले, तलवारों आदि की अनुमति नहीं है। प्रदर्शनकारियों द्वारा ले जाने के लिए; उन्हें जानवरों को लाने या तंबू लगाने या रात भर रहने की अनुमति नहीं देना; ऐसे प्रदर्शनों के लिए समय सीमा निर्धारित करना; और ऐसे प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाना, आदि। चरम यातायात घंटों के दौरान। अधिकारी इसकी अनुमति दे सकते हैं।

बहुत प्रकृति। सचित्र रूप से, स्कूली बच्चे किसी सामाजिक बुराई या दुखद घटना के खिलाफ शांतिप्रिय व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जुलूस निकालते हैं या मोमबत्ती जुलूस निकालते हैं। ये यह दर्शाने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि इस तरह के प्रदर्शनों को इस तरह के प्रदर्शनों के लिए प्रत्येक अनुरोध को अस्वीकार करके पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के बजाय विभिन्न उपायों को अपनाकर प्रभावी ढंग से विनियमित किया जा सकता है। [पैरा 70] [643-एच; 644-ए-एफ] मेजर किसान शक्ति संगथन बनाम।

संघ

भारत और ए. एन. आर.

बानो बी वी। भारत संघ और एएनआर। लेखन याचिका

(सिविल) 2010 की सं. 5000; मधु लिमये बनाम। उप.

डिवीजनल मजिस्ट्रेट (1970) 3 एस. सी. सी. 746: [1971] 2

एससीआर 711; बिमल गुरुन बनाम। भारत संघ (2018) एससीसी

ऑनलाइन एससी 233; अनीता ठाकुर बनाम। जम्मू सरकार और कश्मीर (2016) 15 एस. सी. सी. 525; रामलीला मैदान

घटना वी। गृह सचिव, भारत संघ और अन्य

(2012) 5 एससीसी 1: [2012] 4 एस. सी. आर. 971; बाबूलाल पाराटे बनाम। महाराष्ट्र राज्य 1961 (3) एस. सी. आर. 423; कामेश्वर

(1973) 1 एससीसी 227 [1973] 2 एससीआर 266; सुब्रमण्यन स्वामी वी. भारत संघ, विधि और अन्य मंत्रालय। (2016)

7 एससीसी 221: [2016] 3 एससीआर 865; आशा रंजन बनाम। राज्य

बिहार और अन्य (2017) 4 एस. सी. सी. 397-संदर्भित।

डी जोंग बनाम। ओरेगन राज्य (1973) अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय;

उच्चतम न्यायालय; थॉमस बनाम। कोलिन्स (1945) यूएस सुप्रीम न्यायालय; लापोर्टे, आर. (आवेदन पर) v. मुखिया।

ग्लूसरशायर के सिपाही [2006] यूकेएचएल 55 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1971] 2 एससीआर 711

संदर्भित किया गया है

पैरा

28

(2016) 15 एस. सी. सी. 525

संदर्भित किया गया है

पैरा

30

[2012] 4 एससीआर 971

संदर्भित किया गया है

पैरा

38

[1961] 3 एससीआर 423

पैरा

49

संदर्भित किया गया है

[1962] पूरक 3 एस. सी. आर. 369

संदर्भित किया गया है

पैरा

50

[1973] 2 एससीआर 266

संदर्भित किया गया है

पैरा

51

[2016] 3 एससीआर 865

संदर्भित किया गया है

पैरा

59

(2017) 4 एस. सी. सी. 397

संदर्भित किया गया है

[2018] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

1153 2017 का

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

के साथ

सी. ए. सं. 862 , 863 , 864 2018 से।

ए. एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., डॉ. शिवा शर्मा, रोहित वत्स, सुश्री मोनिका शर्मा, दया कृष्ण शर्मा, प्रशांत भूषण, के. एल. डी. एस. विनोबर,

ए. सुब्बा राव, रिजु राज जामवाल, सुश्री मधुष्मिता बोरा, चिराग जोशी, घनश्याम जोशी, एस. एस. शमशेरी, रजत नायर, एस. संतोष रेबेलो, सुश्री निविदिता नायर, सुश्री स्नेहा तेंदुलकर, मयूर जय सिंह, मायरी चावला, सुश्री अंखी, अदित खुराना, सुश्री कानू अग्रवाल, मनन पोपली, बी. वी. बलराम दास, शादन फरासत, सुहैल राशिद भट, योगिंदर हांडू, निशांत कुमार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे. 1. 2017 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1153, जिसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका के रूप में दायर किया गया है।

भारत, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत बार-बार पुलिस आदेश लागू करने को चुनौती देता है (जिसे इसके बाद "Cr.P.C" के रूप में संदर्भित किया गया है), जिसके तहत सहायक पुलिस आयुक्त, उप-मंडल, संसद मार्ग, नई दिल्ली जिले द्वारा संसद भवन, उत्तर और दक्षिण खंड, सेंट्रल विस्टा लॉन के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्रों में लिखित अनुमति के बिना निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

" (i) किसी भी सार्वजनिक सभा का आयोजन; (ख) पाँच या अधिक व्यक्तियों की सभा;

iii) हथियार, बैनर, तख्तियां, लाठी, भाले, तलवारें,

लाठी, ईंटें आदि।

(iv) नारे लगाना;

vi) जुलूस और प्रदर्शन; vii) क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धरना या धरना

इस आदेश से जुड़ी अनुसूची और स्थल योजना में निर्दिष्ट "

2. यह याचिकाकर्ता की शिकायत है कि हालांकि Cr.P.C की धारा 144 के तहत पारित एक विशेष आदेश लागू रहता है।

60 दिनों की अवधि, एक साथ मेजर किसान शक्ति संगठन v की उक्त अवधि की समाप्ति पर।

60 इन दिनों समान प्रकृति का एक और आदेश पारित किया जाता है जिससे सार्वजनिक सभाओं, शांतिपूर्ण सभा और शांतिपूर्ण आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।

बड़े पैमाने पर जनता द्वारा प्रदर्शन। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह शक्ति का मनमाना प्रयोग है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (बी) के तहत गारंटीकृत शांतिपूर्ण सभा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। यह कहा गया है कि इन आदेशों द्वारा लगभग पूरे मध्य दिल्ली क्षेत्र को सार्वजनिक सभाओं के लिए निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है।

और धरना या शांतिपूर्ण विरोध। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने आई. डी. 1 की धारा 144 के तहत पारित इन आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए प्रमाण पत्र की एक रिट की मांग की है और सार्वजनिक सभाओं, धरना आदि आयोजित करने के लिए दिशानिर्देशों को निर्धारित करने वाले आदेश या किसी अन्य निर्देश को जारी करने का भी अनुरोध किया है। सटीक रूप से, रिट याचिका में की गई प्रार्थनाएँ निम्नलिखित प्रकृति की हैं:

" उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसे सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है।

ताकि यह माननीय न्यायालय इस पर प्रसन्न हो सके:

(क) दिल्ली पुलिस द्वारा इन तिथियों से पहले या बाद में जारी किए गए 24.01.2017,25.03.2017,24.05.2017,23.07.2017,22.09.2017 और 31.10.2017 या इसी तरह के किसी अन्य आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र या कोई अन्य निर्देश जारी करें।

(ग) घोषणा करें कि मध्य दिल्ली/नई दिल्ली क्षेत्र में सभी विधानसभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना अवैध है। (घ) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत बार-बार निषेधात्मक आदेशों को अवैध घोषित करना; और

(च) किसी भी अन्य या आगे उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय के हित में उचित और उचित समझे।

न्याय "।

सिविल अपील सं। 862 2018 का 3. दूसरी ओर, 2018 की सिविल अपील संख्या 862 ने राष्ट्रीय हरित आयोग द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दी है।

न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (इसके बाद "एनजीटी" के रूप में संदर्भित) 2016 के मूल आवेदन संख्या 63 में। यह मूल आवेदन प्रत्यर्थी संख्या द्वारा दायर किया गया था। 1 7 तक, जो जंतर मंतर रोड के निवासी हैं। उक्त मूल आवेदन में उन्होंने कहा था कि [2018] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जंतर मंतर रोड, विशेष रूप से अशोक रोड और संसद मार्ग के बीच का हिस्सा, ऐसे आवासीय घर हैं जहां लोग अब तक कई दशकों से रह रहे हैं। अशोक रोड और संसद मार्ग के चौराहे के बीच आने वाले जंतर मंतर रोड के इस हिस्से को मास्टर प्लेट, 2021 के तहत भी आवासीय क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है। उक्त सड़क में न केवल संसद सदस्यों के आवास हैं, बल्कि केरल का राज्य अतिथि गृह, दिल्ली मेट्रो निगम का कार्यालय और राजनीतिक दलों के कार्यालय भी हैं। शिकायतें यह थीं कि जंतर मंतर विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आधार बन गया है। राजनीतिक और गैर-राजनीतिक समूहों की श्रेणियाँ। इस तरह के विरोध अस्थायी या क्षणिक नहीं हैं। बल्कि प्रदर्शनकारियों ने तंबू और अन्य व्यवस्थाएँ की हैं जहाँ लोग कई महीनों से रह रहे हैं। कुछ संरचनाएँ पिछले कई वर्षों से इस स्थल पर हैं। यह भी माना गया कि जिस तरह से प्रदर्शन किए जाते हैं और जिस क्षेत्र पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है, वह ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण का कारण बन रहा है, जिससे लोगों को दुर्गम और अनकही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।

निवासियों और निवासियों और उनके बच्चों पर प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव डालना।

4. मूल आवेदन में की गई प्रार्थना को पारित करना था

अशोक रोड और संसद मार्ग के बीच जंतर मंतर रोड के प्रदर्शनकारियों को अनुमति न देने या उन्हें लाउडस्पीकर या सार्वजनिक घोषणा प्रणाली का उपयोग करने से रोकने के लिए पुलिस आयुक्त और अन्य सरकारी अधिकारियों (जिन्हें प्रतिवादी के रूप में रखा गया था) को निर्देश देने वाले उचित आदेश। एनजीटी ने मामले की सुनवाई के बाद 5 अक्टूबर, 2017 को अपना फैसला सुनाया है, जिसमें प्रतिवादी संख्या के मूल आवेदन की अनुमति दी गई है। 1 7 को निम्नलिखित निर्देश जारी करने के साथः

" I. प्रत्यर्थी दिल्ली सरकार, नई दिल्ली नगर निगम और पुलिस आयुक्त, दिल्ली तुरंत रुकें जंतर मंतर पर धरना, विरोध, आंदोलन, लोगों का इकट्ठा होना, सार्वजनिक भाषण, लाउड स्पीकर का उपयोग आदि सभी गतिविधियाँ।

सड़क।

II. एन. डी. एम. सी. को निर्देश दिया गया है कि वह सभी अस्थायी कार्यों को हटा दे।

जंतर मंतर रोड के उक्त खंड से संरचनाएं, लाउड स्पीकर और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली।

III. एन. डी. एम. सी. को कचरे/कचरे को हटाने का भी निर्देश दिया गया है।

जंतर मंतर रोड का हिस्सा और पूरे क्षेत्र को साफ करें।

मेजर किसान शक्ति संगथन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

IV. प्रतिवादी प्रदर्शनकारियों, आंदोलनकारियों और धरना देने वाले लोगों को राम लीला मैदान में वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित करेगा।

अजमेरी गेट, तुरंत।

5. प्रत्यर्थियों को निर्णय की घोषणा की तारीख से चार सप्ताह के भीतर इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

VI. नई दिल्ली नगर निगम के अध्यक्ष, दिल्ली के पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पांच दिनों के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी-अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेंगे।

निर्णय की तारीख से सप्ताह।

जब ऐसी रिपोर्टें प्राप्त होती हैं, तो रजिस्ट्री को इसे पंजीकृत करने और न्यायाधिकरण के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है। कोई आदेश नहीं होगा

लागत के बारे में "।

5. 2018 की सिविल अपील संख्या 862 ने उक्त आदेश की वैधता पर इस आधार पर सवाल उठाया है कि ये निर्देश मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (बी) में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए प्रतिष्ठापित अपीलार्थियों में से क्योंकि अपीलार्थी कल्याण के लिए लड़ रहे हैं किसानों का हित और इन किसानों की वैध शिकायतों के निवारण के लिए जंतर मंतर पर धरना आयोजित करना।

6. इसी तरह, 2018 की सिविल अपील संख्या 863 में अपीलार्थी, एनजीटी के उसी आदेश से व्यथित है, बताती है कि वह 16 तारीख को एक पुलिस अधिकारी द्वारा बलात्कार के गंभीर अपराध के लिए कई वर्षों से पीड़ित है। जून, 2010 और अपनी शिकायत के निवारण के लिए संबंधित व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह लगातार जंतर मंतर पर धरने पर बैठी रही हैं और एनजीटी द्वारा इस तरह के धरने पर प्रतिबंध लगाने से उनका मूल्यवान मौलिक अधिकार प्रभावित हुआ है।

सिविल अपील सं। 864 2018 का

7. 2018 की सिविल अपील संख्या 864 भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन द्वारा दायर की गई है। यह संगठन, जो पूर्व के अधिकारों के लिए लड़ रहा है जंतर मंतर पर धरना, सभा, भाषण आदि आयोजित करने वाले सैनिकों को एनजीटी द्वारा इस प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के कारण अपनी आवाज उठाने से रोक दिया गया है।

8. इन दोनों मामलों में उपरोक्त परिचय से स्पष्ट रूप से पता चलता है

मुद्दों और कानूनी उपदेशों की समानता जिसके आधार पर [2018] 11 एस. सी. आर.

सभी मामलों की विषय वस्तु पर निर्णय लिया जाना है। इस कारण से, सभी चार मामलों को एक साथ जोड़ा गया और एक साथ सुनवाई की गई।

तथ्यः डब्ल्यू. पी. (नागरिक) नहीं। 1153 2017 का वर्षः

9. यह जनहित याचिका मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा दायर की गई है।

1990 के दशक के मध्य में एम. के. एस. एस. द्वारा शुरू किया गया गाँव आधारित सार्वजनिक सुनवाई या "जन सुनवाइस" का मंच इन प्रक्रियाओं में संस्थागत हो गया। सरकार और इसका उपयोग देश भर में सार्वजनिक लेखा परीक्षा के साधन के रूप में भी किया जाता है। एम. के. एस. एस. भी एक मजबूत समर्थक और काम के अधिकार की मांग करने वाले आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, जिसने भारत में 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन. आर. ई. जी. ए.) को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एम. के. एस. एस. अपनी गतिविधियों के लिए सामुदायिक समर्थन और अपने स्वयंसेवकों के लिए मानदेय के माध्यम से काम करता है। पूर्णकालिक

स्वयंसेवकों को उनके मानदेय के रूप में न्यूनतम मजदूरी मिलती है। यह व्यक्तियों से गैर-कर कटौती योग्य दान के माध्यम से आता है जो एम. के. एस. एस.

प्राप्त करता है।

10. याचिका में बताया गया है कि दिल्ली पुलिस के लिए Cr.P.C की धारा 144 के तहत इस तरह के निषेधात्मक आदेश जारी किए जा रहे हैं।

कई साल। यह पिछले आदेश की अवधि समाप्त होते ही नए आदेश जारी करता है। धारा 144 Cr.P.C की उप-धारा (4) के अनुसार, एक आदेश अधिकतम दो महीने की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है, इसलिए, दिल्ली पुलिस ने एक ही आदेश को बार-बार जारी करने की रणनीति अपनाई है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले कई वर्षों से, पूरा मध्य दिल्ली क्षेत्र धरना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आदि के उद्देश्यों के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र है।

11. याचिकाकर्ता ने 24 जनवरी के इन आदेशों को संलग्न किया है।

2017 , 25 मार्च, 2017,24 मई, 2017,23 जुलाई, 2017,22 सितंबर, 2017 और 31 अक्टूबर, 2017 को क्रमशः अनुलग्नक पी-1 से पी-6 के रूप में। सभी आदेश समान रूप से लिखे गए हैं। स्पष्टता के लिए, 25 मार्च, 2017 के एक ऐसे आदेश के पाठ को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैः

आदेश

1. जबकि संसद भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, सेंट्रल विस्टा लॉन के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्रों को इसके आसपास के इलाकों के साथ जोड़ा गया है।

क्षेत्र में जुलूसों/प्रदर्शनों आदि से यातायात में बाधा, मानव सुरक्षा के लिए खतरा और सार्वजनिक शांति में बाधा आने की संभावना है। 3. और जबकि मानव जीवन के लिए खतरे या सुरक्षा और अशांति को रोकने के लिए इस दिशा में त्वरित उपाय करना आवश्यक है

सार्वजनिक शांति।

4. इसलिए अब मुझे दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए

अधिसूचना सं। यू-11036/(i) यू. टी. एल. दिनांक 9.9.2010, I, वेद भूषण, सहायक। उप-मंडल संसद मार्ग के पुलिस आयुक्त नई दिल्ली जिले के लोग एतद्द्वारा इस लिखित आदेश को प्रतिबंधित करते हैं:

" (i) किसी भी सार्वजनिक सभा का आयोजन;

(ख) पाँच या अधिक व्यक्तियों की सभा;

iii) हथियार, बैनर, तख्तियां, लाठी, भाले,

तलवारें, डंडे, ईंटें आदि।

(iv) नारे लगाना;

(v) भाषण देना आदि।

vi) जुलूस और प्रदर्शन;

vii) इस आदेश से जुड़ी अनुसूची और स्थल योजना में निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धरना या धरना;

5. इस निषेधात्मक आदेश के दायरे में आने वाला विशिष्ट क्षेत्र संसद मार्ग/सहकारी समितियों के पंजीयक के सामने, पुराना न्यायालय भवन, संसद मार्ग/अशोक रोड क्रॉसिंग की ओर, अशोक रोड, विंडसर प्लेस (समावेशी सड़क), अशोक रोड से मान सिंह रोड/अशोक तक का क्षेत्र और भवन होगा। रोड आर/ए, टी/आर मान सिंह रोड (विशेष) राजपथ तक, फिर टी/आर राजपथ पर (समावेशी) विजय चौक तक, फिर टी/एल साउथ फाउंटेन तक, टी/आर डलहौजी रोड आर/ए डलहौजी रोड/राजाजी तक।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नॉर्थ ब्लॉक, सेंट्रल सेक्टर। , चर्च रोड से गेट नं. 35 तक

एम. पी. फ्लैटों सहित राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ एवेन्यू से आर/ए तक आर. एम. एल. (विशेष), बाबा खरक सिंह मार्ग से गोले दखाना तक

सहकारी समितियों, पुराने न्यायालय भवन और जंतर मंतर रोड/टॉलस्टाय मार्ग क्रॉसिंग, जंतर मंतर रोड से आर/ए जंतर तक

मन्तर रोड और अशोक रोड। इस क्षेत्र का एक विस्तृत मानचित्र है - इस आदेश के अनुलग्नक के रूप में संलग्न।

6. यह आदेश 26.03.2017 से लागू होगा।

और 60 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा, अर्थात, तक

24.05.2017 (दोनों दिन शामिल हैं) जब तक कि पहले वापस नहीं लिया जाता है।

7. इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति दंडनीय होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 188।

8. चूंकि नोटिस सभी संबंधित लोगों को व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया जा सकता है,

प्रेस के माध्यम से और उन पर प्रतियां चिपकाकर जनता की जानकारी सभी जिला अतिरिक्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड। सी. एस. पी/डी. सी. एस. पी /

एडल्ट। डी. सी. एस. पी., ए. सी. एस. पी., तहसील कार्यालय, सभी संबंधित पुलिस स्टेशन

और एन. डी. एम. और एम. सी. डी. के कार्यालय।

(वे

द भूषण)

आसिस्टेंट। पुलिस आयुक्त,

उप-प्रभाग संसद मार्ग

नई दिल्ली

जिला "

12. यह माना जाता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, जिसका केंद्र

राजपथ सड़क के किनारे इंडिया गेट के पास बोट क्लब लॉन। महेंद्र सिंह टिकैट आंदोलन के बाद बोट क्लब के लॉन में विरोध प्रदर्शन हुए थे। प्रतिबंधित। वास्तव में विरोध करने के अप्रतिबंधित अधिकार को

गंभीर रूप से कम कर दिया गया था और पूरी मध्य दिल्ली, जो प्रतिष्ठान कार्यालयों के करीब है, को एक किले और नागरिकों के मौलिक अधिकारों में बदल दिया गया है।

भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

इससे पूरी तरह से इनकार किया जाता है। हालाँकि 1993 से हाल तक, एकमात्र स्थान जहाँ विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, वह था जंतर मंतर।

13. जब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने के प्रयास किए गए, तो दिल्ली पुलिस ने बार-बार मध्य दिल्ली में विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए।

भोपाल गैस पिदित महेला स्टेशनरी कर्मचारी संघ के एक सदस्य ने 2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी, जो 1984 में यूनियन कार्बाइड के संयंत्र से जहरीली गैसों के रिसाव के पीड़ितों की समस्याओं की जांच के लिए एक अधिकार प्राप्त आयोग का गठन करने में भारत सरकार की विफलता के कारण विरोध प्रदर्शन करने के लिए अन्य कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली आए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस के लगातार आदेशों के कारण वही विरोध प्रदर्शन निष्फल हो रहे थे।

मध्य दिल्ली में विरोध करने के अधिकार पर प्रतिबंध। उच्च न्यायालय ने 31 मई, 2011 को याचिका का निपटारा किया जब दिल्ली पुलिस ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया था कि नई दिल्ली जिले के अधिकार क्षेत्र के तहत Cr.P.C की धारा 144 के तहत निरंतर निषेध की घोषणा की गई थी।

किसी भी सार्वजनिक सभा, धरना, शांतिपूर्ण विरोध आदि के लिए निषिद्ध क्षेत्र के रूप में क्षेत्रों को बंद कर दिया गया है। इसके बावजूद, धारा 144 के तहत बार-बार आदेश लागू करने की प्रथा जारी है, जो नागरिकों के विरोध और शांतिपूर्ण सभा के मौलिक अधिकार को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करती है। 14. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को विरोध स्थल के रूप में जंतर मंतर का उपयोग करने के लिए विज्ञापन भी दिया है। हालांकि, 5 अक्टूबर, 2017 को एनजीटी ने इस आधार पर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि यह क्षेत्र के निवासियों के लिए उपद्रव पैदा करता है और पर्यावरण संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करता है। हालाँकि, यह आदेश शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठा होने के नागरिक के मौलिक अधिकार का पूरी तरह से उल्लंघन है। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के एनजीटी के आदेश के साथ, यह स्पष्ट है कि एक विरोध स्थल से दूरी बनाना जहां से यह सरकार और संबंधित अधिकारियों को सबसे अधिक दिखाई देता है, इसका प्रभाव कम होगा।

प्रभाव जो विरोध प्राप्त करना चाहता है। जंतर मंतर 1993 से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का स्थल रहा है और सड़क के विस्तार की प्रकृति से, यह एक आसानी से प्रबंधित और नियंत्रित स्थान है। इसने गरीब प्रदर्शनकारियों को पास के गुरुद्वारे से भोजन प्राप्त करने का मौका दिया और आयोजन स्थल की निकटता को देखते हुए उन्हें अधिक दृश्यता की भावना दी।

संसद। विरोध स्थल को रामलीला मैदान में स्थानांतरित करने के साथ, एक डर है कि यह प्रदर्शनकारियों को उस स्थान से और दूर कर देगा जहां उनकी अधिक दृश्यता थी और इसलिए प्रदर्शन स्थल पर एक अनुचित प्रतिबंध है।

विरोध करने की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार। [2018] 11 एस. सी. आर. की लागत के अलावा।

विरोध प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान का उपयोग करने के लिए रु। 50,000 / - प्रति दिन जो आम नागरिक के लिए साइट पर विरोध प्रदर्शन को व्यावहारिक रूप से असंभव बना देगा। 15. इस याचिका में की गई प्रार्थनाओं के समर्थन में बहस करते हुए विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण ने कुछ प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख किया

धारा 144 और दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 सहित। उन्होंने कहा कि शिकायतों को दूर करने के लिए लोगों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना और यह देखना कि संबंधित हलकों में उनकी आवाज सुनी जाए, लोगों का अधिकार है। इस तरह के अधिकार का पता लगाया जा सकता है

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (1) (बी) के तहत गारंटीकृत मौलिक प्रणाली। अनुच्छेद 19 (1) (बी) विशेष रूप से सभा करने का अधिकार प्रदान करता है। और, इस प्रकार, यह गारंटी देता है कि सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विभिन्न निर्णयों द्वारा, इस न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों ने नागरिकों के इस मौलिक अधिकार को बरकरार रखा है, यानी बिना हथियारों के विरोध करने और शांति से इकट्ठा होने का अधिकार किसी भी लोकतंत्र की एक विशिष्ट विशेषता है और यह वह विशेषता है जो वैध असहमति के लिए स्थान प्रदान करती है। इसमें अभिव्यक्ति का अधिकार शामिल है।

सभा, विरोध, धरना या मार्च शांतिपूर्ण होते हैं और वे गैरकानूनी नहीं होते हैं। हालाँकि, उनका निवेदन था कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय अधिकारियों को कानून की सीमाओं के भीतर कार्य करना चाहिए और वे ज्यादतियों में लिप्त नहीं हो सकते हैं जिसे शांतिपूर्ण सभा के अधिकार को दबाने और अनुचित प्रतिबंध लगाने के एक अन्य प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। 16. श्री प्रशांत भूषण का निवेदन था कि उपरोक्त संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आई. डी. 1 की धारा 144 के प्रावधान का उपयोग केवल आकस्मिक स्थिति में किया जा सकता है जब उस धारा के तहत आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हो और तत्काल रोकथाम या त्वरित उपचार की आवश्यकता हो। इस संबंध में, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 31 मई, 2011 के आदेश किसान शक्ति संगठन बनाम से निर्वाह प्राप्त किया।

बानो बी बनाम के मामले में। भारत संघ और Anr.[1] जिसमें मध्य दिल्ली/नई दिल्ली में सभी विधानसभाओं पर एक प्रकार का पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था, सी की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश की घोषणा की गई थी। उन्होंने निम्नलिखित चर्चा का उल्लेख कियातर्कः

" 5. आम तौर पर हम हिम्मत लाल के. शाह मामले (ऊपर) में निर्धारित कानून और बाबूलाल पराते बनाम में दिए गए एक अन्य निर्णय पर विचार करते। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 884) संविधान पीठ द्वारा, लेकिन हमें आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत बनाम में एक निर्णय मिला है। पुलिस आयुक्त, कलकत्ता और एक अन्य, (ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 51) जिसमें उन्होंने

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" दूसरा पहलू, अर्थात। , हालाँकि, दोहराए जाने वाले निषेधात्मक आदेशों का औचित्य हमारे लिए एक गंभीर मामला है और चूंकि लंबे तर्क दिए गए हैं, इसलिए हम इससे निपटने का प्रस्ताव करते हैं। इस मामले में अक्टूबर 1979 से 1982 तक लगभग दो महीने के अंतराल पर समय-समय पर संहिता की धारा 144 (1) के तहत आदेश दिए गए हैं। हमारे सामने यह विवादित नहीं है कि इस धारा के तहत प्रदत्त शक्ति का उद्देश्य है -

शांति भंग की तत्काल रोकथाम या त्वरित उपचार।

इस धारा के तहत दिया गया आदेश धारा 144 की उप-धारा (4) में दिए गए प्रावधान के अनुसार इसे बनाए जाने की तारीख से दो महीने के लिए वैध रहेगा। उप-धारा (4) का परंतुक राज्य सरकार को ऐसा करने के लिए अधिकृत करता है यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझती है।

मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने के लिए, या किसी दंगे या किसी भी झगड़े को रोकने के लिए, अधिसूचना द्वारा निर्देश देना कि मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश उस तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए लागू रह सकता है जिस पर

मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश समाप्त हो गया होगा, लेकिन इस तरह के आदेश के लिए। अतः परंतुक का प्रभाव यह है कि राज्य सरकार निषेधात्मक आदेश को आजीवन की एक अतिरिक्त अवधि देने की हकदार होगी, लेकिन यह संहिता की धारा 144 की उप-धारा (4) के संदर्भ में दो महीने की अवधि के बाद छह महीने तक सीमित होगी। विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों ने सही दृष्टिकोण अपनाया है कि पहले के आदेशों के समय के प्रवाह से समाप्त होने के बाद लगातार आदेश देना वैध नहीं है। पूरे न्यायालय से युक्त एक पूर्ण पीठ

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश के जीवनकाल से परे अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए निषेधात्मक आदेश का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार क्षेत्र देता है, यह स्पष्ट रूप से इस स्थिति का संकेत है कि संसद ने कभी भी संहिता की धारा 144 के तहत आदेश के जीवनकाल को मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाने पर दो महीने से अधिक समय तक लागू रखने का इरादा नहीं किया था। उस धारा की योजना में दोहराए जाने वाले आदेशों पर विचार नहीं किया गया है और यदि स्थिति ऐसी है तो कानून के अन्य प्रावधानों जैसे कि धारा 107 या संहिता की धारा 145 के तहत कदम उठाए जाने चाहिए जब व्यक्तिगत विवाद उठाए जाते हैं और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस अधिनियम में प्रावधान पाए जाते हैं। यदि बार-बार आदेश दिए जाते हैं तो यह स्पष्ट रूप से संहिता की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग होगा। यह है। बाबूलाल पराटे बनाम में इस न्यायालय के निर्णय के विज्ञापन के लिए प्रासंगिक। महाराष्ट्र राज्य जहाँ संहिता की धारा 144 के अधिकारों को चुनौती दी गई थी। प्रावधान को कायम रखते हुए, इस न्यायालय ने कहाः

" यह सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था को पहले से बनाए रखना होगा

और इसलिए, यह एक विधानमंडल के लिए एक कानून पारित करने के लिए सक्षम है जो एक उपयुक्त प्राधिकारी को अग्रिम कार्रवाई करने या विशेष प्रकार के कार्यों पर अग्रिम प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।

सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आपातकाल में "।

इस पर फिर से जोर दिया गया (आकाशवाणी के p.891 पर):

" लेकिन यह कहना मुश्किल है कि ऐसे प्राधिकरण द्वारा आपात स्थिति में की गई अग्रिम कार्रवाई जहां सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हो।

वास्तव में पकड़ा गया है एक कार्रवाई के अलावा कुछ और है व्यवस्था बनाए रखने के कर्तव्य के निर्वहन में।

इसलिए इस न्यायालय ने उचित रूप से इस बात पर जोर दिया था कि -

यह विशेषता है कि संहिता की धारा 144 का प्रावधान था

आपात स्थिति का सामना करने का इरादा। यह एक स्थिति बताता है

चरित्र में अस्थायी और इसलिए, एक आदेश की अवधि संहिता की धारा 144 के तहत कभी भी इरादा नहीं किया जा सकता था

चरित्र में अर्ध-स्थायी होना।

17. उपरोक्त रिट याचिका का निपटारा नोट लेने के बाद किया गया था

इस तथ्य का कि नई दिल्ली जिले के अधिकार क्षेत्र में आई. डी. 1 की धारा 144 के तहत निरंतर निषेध को बंद कर दिया गया था और उत्तरदाताओं द्वारा एक बयान भी दिया गया था कि इस प्रावधान को आपात स्थिति को छोड़कर जब भी अनुचित होगा तब लागू नहीं किया जाएगा। श्री भूषण ने प्रस्तुत किया कि उक्त मामले में प्रत्यर्थियों द्वारा उठाए गए उपरोक्त रुख के विपरीत, प्रत्यर्थियों ने धारा 144, Cr.P.C के तहत बार-बार आदेश जारी करने की समान रणनीति अपनानी शुरू कर दी थी। विद्वान वकील के अनुसार, यह प्रथा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिशाप थी जहां लोगों को बोलने की स्वतंत्रता और अपनी शिकायत व्यक्त करने के लिए इकट्ठा होने की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह एक मूल्यवान अधिकार था जो नागरिकों को दिया गया था कि वे अपने सम्मान को छोड़ दें और यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के उस अधिकार की अनुमति नहीं दी जाती है, तो यह हिंसक मोड़ ले सकता है।

18. विद्वान वकील श्री भूषण ने विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया

जहाँ ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जाती है।

19. उन्होंने अपने समर्थन के लिए कुछ अन्य निर्णयों 2 का भी उल्लेख किया।

प्रस्तुत करना कि Cr.P.C की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग विकारों, बाधाओं और झुंझलाहट को रोकने के लिए किया जाना है।

20. श्री भूषण अंतर्राष्ट्रीय मानकों का हवाला देने की हद तक गए,

शांतिपूर्ण सभा के अधिकार और विरोध के अधिकार पर विदेशी न्यायालयों के सम्मेलन और निर्णय। उनके इस निवेदन के समर्थन में कि इस तरह के अधिकार को दुनिया भर के सभी लोकतांत्रिक देशों में मान्यता दी गई थी

कानून के शासन द्वारा शासित, उन्होंने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा और बाल अधिकारों पर संधि जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का उल्लेख किया। उन्होंने यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई) द्वारा जारी शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता पर दिशानिर्देशों पर भी भरोसा किया और

2 (1970) 3 एस. सी. सी. 746,1961 (3) एस. सी. आर. 423 (2012) 5 एस. सी. सी. 1, (1978) 1 एस. सी. सी. 226, (1973) 1

एससीसी 227, (1983) 4 एससीसी 522 [2018] 11 एस. सी. आर.

कानून के माध्यम से यूरोप के लोकतंत्र आयोग की परिषद (वेनिस आयोग)। इसके अलावा, श्री प्रशांत भूषण ने शांतिपूर्ण सभा और संगठन की स्वतंत्रता के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष प्रतिवेदक रिपोर्ट में निहित साहित्य का भी उल्लेख किया। श्री प्रशांत भूषण ने यू. एस. सुप्रीम कोर्ट और यू. के. कोर्ट द्वारा दिए गए कुछ फैसलों का भी हवाला दिया।

21. अपनी दलीलों को समाप्त करते हुए श्री भूषण ने तर्क दिया कि

नई दिल्ली/मध्य दिल्ली में बोट क्लब क्षेत्र को भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना गया था। उनके अनुसार, रामलीला मैदान में प्रदर्शन के लिए क्षेत्र को निर्धारित करना कोई समाधान नहीं था। यह एक उपयुक्त विकल्प और कोई समाधान नहीं था क्योंकि यह मध्य दिल्ली से बहुत दूर था जहां केंद्रीय कार्यालय थे।

सरकार स्थित थी। प्रदर्शन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय निर्माताओं द्वारा प्रदर्शनकारियों की आवाज सुनी जाए ताकि इसका पर्याप्त प्रभाव पड़े। यदि याचिकाकर्ताओं जैसे प्रदर्शनकारियों को पुरानी दिल्ली के रामलीला मैदान में दूर तक खदेड़ दिया जाता है, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाएगा। स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (1) (बी) के तहत याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन है। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि इस तरह से, उत्तरदाता अपने नागरिकों के साथ अपने सेवकों के रूप में व्यवहार कर रहे थे। वह भी।

प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश इस धारणा पर आधारित थे कि जब भी नई दिल्ली क्षेत्र में कोई प्रदर्शन या धरना होता है, तो यह हिंसा का कारण बनता है जो एक अनुचित धारणा थी। उनकी दलील थी कि यदि किसी विशेष समूह की हिंसक होने की ऐसी पृष्ठभूमि है, तो ऐसे समूह को हमेशा प्रदर्शन करने से रोका जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए उत्तरदाताओं के पास हमेशा सतर्कता जानकारी हो सकती है। हालाँकि, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर सामान्य और पूर्ण प्रतिबंध लगाने का कोई कारण या तर्क नहीं है।

22. एम/एस। तुषार मेहता और ए. एन. एस. नाडकर्णी ने अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त की।

सॉलिसिटर जनरलों ने याचिकाकर्ता की उपरोक्त दलीलों का कड़ा खंडन किया। विचाराधीन क्षेत्र के संवेदनशील चरित्र पर बहुत जोर देते हुए, Cr.P.C की धारा 144 के तहत पारित आदेशों को जारी करने को सही ठहराने के लिए, उन्होंने इन आदेशों को बनाए रखने के लिए एक जोरदार अनुरोध किया। बाबूलाल पराटे 2 के कुछ अंशों का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया था कि 'स्पष्ट और वर्तमान खतरा' परीक्षण जिसे अमेरिकी अदालतों द्वारा लागू किया गया था

3 डी जोंग बनाम। ओरेगन राज्य; [(1973) यू. एस. सुप्रीम कोर्ट], शटलस्वर्थ बनाम। बर्मिंघम शहर; [(1969) यू. एस. सुप्रीम कोर्ट], थॉमस बनाम। कोलिन्स; [(1945) यू. एस. सुप्रीम कोर्ट] और लापोर्टे, आर. (के आवेदन पर) v. ग्लूसरशायर के मुख्य सिपाही;

[2006] यू. के. एच. एल. 55 ज़दूर किसान शक्ति संगथन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]भारतीय संदर्भ में मामले लागू नहीं थे और इस न्यायालय द्वारा सही परीक्षण 'शांति भंग होने की आशंका' का था।

निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विशिष्ट निर्भरता रखी गई थी

लाल पाराटे 2.

" 14. इस खंड को समग्र रूप से देखते हुए यह स्पष्ट होगा कि मोटे तौर पर इसका उपयोग विकारों, बाधाओं और परेशानियों को रोकने के लिए किया जाना चाहिए और इसका उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना है।

सार्वजनिक कल्याण। जिम्मेदार द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है

मजिस्ट्रेटों और इन मजिस्ट्रेटों को न्यायिक रूप से कार्य करना होता है। इसके अलावा, प्रावधान के तहत अनुमत प्रतिबंध अस्थायी हैं।

प्रकृति और केवल एक आपातकाल में लागू किया जा सकता है।

XXX

XXX

XXX

19. यह तर्क दिया जाता है कि दंड संहिता की धारा 144

प्रक्रिया कुछ मजिस्ट्रेटों को बहुत व्यापक शक्तियां प्रदान करती है।

और यह कि उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकारों पर बहुत गंभीर प्रतिबंध लगा सकते हैं

भाषण और अभिव्यक्ति और शांतिपूर्वक और बिना एकत्रित होने के लिए

हथियार।

20. हालाँकि, हमें ऐसा लगता है कि शक्ति व्यापक प्रतीत होती है, लेकिन इसका उपयोग केवल आपात स्थिति में और किसी भी व्यक्ति को बाधा, झुंझलाहट या चोट से बचाने के उद्देश्य से किया जा सकता है।

कानूनी रूप से नियोजित, या मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा, या सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या दंगा, या "एक झगड़ा"। ये कारक शक्ति के प्रयोग की शर्त लगाते हैं और यह होगा

शक्तियाँ, बनाई जानी चाहिए या नहीं, हम यह मानने के हकदार हैं कि शक्तियों का प्रयोग वैध और ईमानदारी से किया जाएगा। इस धारा को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि मजिस्ट्रेट

संभवतः अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करें।

21. यह भी सच है कि शुरू में यह संबंधित मजिस्ट्रेट है जिसे आदेश देने की आवश्यकता के बारे में राय बनानी होती है। इसलिए सवाल यह है कि क्या इतनी व्यापक शक्ति (2018) 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के अनुच्छेद (1) (ए) और (बी) के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन। ख-खंड (क) द्वारा गारंटीकृत अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं हैं, बल्कि वे सीमाओं के अधीन हैं।

अनुच्छेद 19 के खंड (2) में अभिनिर्धारित जो इस प्रकार हैः

" खंड (1) के उपखंड (क) की कोई भी बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी, जहां तक कि ऐसी कानून राज्य की सुरक्षा के हित में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाती है। विदेशी राज्य, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, या अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में।

समान रूप से जिन अधिकारों से उपखंड (ख) संबंधित है, वे अनुच्छेद 19 के खंड (3) में पाई जाने वाली सीमाओं के अधीन हैं।

हमः

" उक्त खंड के उपखंड (बी) में कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, जहां तक वह लागू करता है, या राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था के हित में, अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने से रोकता है।

उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त।

अनुच्छेद 19 के कौन से उपखंड (ए) और (बी) संबंधित हैं, यह उचित है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि धारा 144 के प्रावधान हैं - केवल एक आपात स्थिति में आकर्षित। इसके तहत, आपातकाल का प्रारंभिक न्यायाधीश, निस्संदेह, जिला मजिस्ट्रेट या

मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या उप-मंडल मजिस्ट्रेट या राज्य द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य मजिस्ट्रेट

सरकार। लेकिन फिर, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना राज्य के कार्यकारी विभाग का कर्तव्य और कार्य होने के नाते यह अपरिहार्य है कि इस बारे में राय बनाने का सवाल कि क्या कोई आपातकाल है या नहीं, आवश्यक रूप से आराम करना चाहिए।

पहली बार में, उन व्यक्तियों के साथ जिनके माध्यम से

कार्यपालिका अपने कार्यों का निर्वहन करती है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है।

यह किसान शक्ति संगथन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

राज्य सरकार से प्रत्येक मामले में स्वयं उन कर्तव्यों और कार्यों का प्रयोग करने की अपेक्षा करना अव्यवहारिक और असंभव भी होगा। इसलिए धारा के प्रावधान जो इस संबंध में एक मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान करता है

उसमें निर्दिष्ट किसी भी वर्ग से संबंधित नहीं हो सकता है

अनुचित माना जाता है। हम यह भी बता सकते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी करने की आवश्यकता के बारे में मजिस्ट्रेट की संतुष्टि को धारा द्वारा पूरी तरह से व्यक्तिपरक नहीं बनाया गया है। हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि हालांकि एक उपयुक्त मामले में एक मजिस्ट्रेट को इस धारा के तहत एक आदेश देने का अधिकार है, कानून की अपेक्षा है कि वह, जहां संभव हो, उस व्यक्ति या व्यक्तियों को नोटिस जारी करे जिनके खिलाफ आदेश पहले निर्देशित किया गया है।

आदेश दिया जाता है जिससे प्रभावित व्यक्ति या व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने का अधिकार होता है। उप-धारा (5) में प्रावधान है कि जहां ऐसी चुनौती दी जाती है, मजिस्ट्रेट संबंधित व्यक्ति को उसके सामने पेश होने और आदेश के खिलाफ कारण दिखाने का शीघ्र अवसर देगा। इस तरह की कार्यवाही में मजिस्ट्रेट का निर्णय निस्संदेह न्यायिक होगा क्योंकि यह किया गया होगा। आदेश से प्रभावित पक्ष को सुनने के बाद पहुंचे। चूँकि मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही न्यायिक होगी, इसलिए उसे आदेश को तब तक दरकिनार करना होगा जब तक कि वह

यह निष्कर्ष निकालना कि जिन आधारों पर यह आधारित है वे कानून में हैं

इसकी पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, चूंकि आदेश का औचित्य चुनौती देने के लिए खुला है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 144 द्वारा प्रदान की गई शक्ति के व्यापक विस्तार के कारण

कुछ मजिस्ट्रेट इस पर अनुचित प्रतिबंध लगाते हैं कुछ मौलिक अधिकार।

3. यह तर्क कि भाला में आपराधिकता का निर्धारण करने का परीक्षण अनुचित है, स्पष्ट रूप से शेनेक मामले [शेनेक बनाम। यू. एस., 249, यू. एस. 47] मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर पिछले प्रतिबंधों की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कोई स्पष्ट और वर्तमान खतरा हो।

हालाँकि, हमारे लिए, कि अमेरिकी सिद्धांत को हमारे संविधान के तहत आयात नहीं किया जा सकता है क्योंकि मौलिक अधिकारों की गारंटी है संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत पूर्ण अधिकार नहीं हैं, लेकिन जैसा कि मद्रास राज्य v में बताया गया है। वी. जी. पंक्ति [1952 एस. सी. आर. 597] अनुच्छेद 19 के बाद के खंडों में लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है। अमेरिकी संविधान में कुछ भी नहीं है

अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन में प्रावधान है, अन्य बातों के अलावा, कि "कोई भी राज्य कोई कानून नहीं बनाएगा या लागू नहीं करेगा।

जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के विशेषाधिकारों या उन्मुक्ति को कम करेगा और न ही कोई राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित करेगा।

24. हमारे संविधान की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अलग है। फिर से, सर्वोच्च

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार और उन्मुक्ति सामाजिक प्रावधानों के अधीन हैं।

पुलिस शक्ति के सिद्धांत का सहारा लेकर नियंत्रण। यह इस पृष्ठभूमि के प्रकाश में है कि शनेक में परीक्षण निर्धारित किया गया है मामला [शेनेक बनाम। यू. एस., 249, यू. एस. 47] को समझना होगा।

25. धारा 144 की भाषा कुछ अलग है। यह परीक्षा

खंड में निर्धारित केवल "संभावना" या "प्रवृत्ति" नहीं है। धारा में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना चाहिए कि

26. इसके अलावा यह ध्यान देने योग्य है कि शेनेक में मामला [शेनेक बनाम। यू. एस., 249, यू. एस. 47] सर्वोच्च न्यायालय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित था और उसने कहाः

" यह अच्छी तरह से हो सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने वाले कानून का निषेध पिछले प्रतिबंधों तक ही सीमित नहीं है, हालांकि उन्हें रोकना मुख्य उद्देश्य हो सकता है। हम स्वीकार करते हैं कि कई स्थानों पर और सामान्य समय में प्रतिवादी, परिपत्र में जो कुछ भी कहा गया था, वह उनके संवैधानिक अधिकारों के भीतर होता। लेकिन प्रत्येक कार्य का चरित्र इस पर निर्भर करता है कि

जिन परिस्थितियों में यह किया जाता है। सबसे सख्त सुरक्षा ज़दूर किसान शक्ति संगथन बनाम में झूठी आग चिल्लाने में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति की रक्षा नहीं करेगी।

27. संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भी स्थिति हो, हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि धारा 144 के तहत अनुमेय प्रकार की अग्रिम कार्रवाई अनुच्छेद 19 के खंड (2) और (3) के तहत अनुज्ञेय नहीं है। खंड (2) (1951 में यथा संशोधित) और खंड (3) दोनों में, विधायिका को अन्य बातों के अलावा, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में इन खंडों द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने वाले कानून बनाने की शक्ति दी गई है। इसे सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था को पहले से बनाए रखना पड़ता है और इसलिए, यह विधायिका के लिए एक कानून पारित करने के लिए सक्षम है जो एक लोक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आपात स्थिति में विशेष प्रकार के कार्यों पर अग्रिम कार्रवाई करने या अग्रिम प्रतिबंध लगाने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी। हमें करना चाहिए,

इसलिए, विवाद को अस्वीकार करें। 28. इसमें कोई संदेह नहीं है कि चूंकि कानून और व्यवस्था बनाए रखने का कर्तव्य मजिस्ट्रेट पर डाला गया है, इसलिए उसे उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए और नागरिक की सामान्य गतिविधियों को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करके इसे छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि आपात स्थिति में ऐसे प्राधिकरण द्वारा की गई अग्रिम कार्रवाई, जहां सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा वास्तव में आशंका है, व्यवस्था बनाए रखने के कर्तव्य के निर्वहन में की गई कार्रवाई के अलावा कुछ और है। ऐसी परिस्थितियों में जो कर्तव्य निर्वहन का एकमात्र तरीका हो सकता है। इसलिए हम इस तर्क को खारिज करते हैं कि धारा 144 के दमन के स्थान पर

कानूनी गतिविधि या व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के कर्तव्य का अधिकार।

29. आदेश पर आते ही हमें श्री मणि की कुछ आपत्तियों पर विचार करना चाहिए जो वास्तव में हैं कि आदेश में तीन विशेषताएं हैं जो इसे असंवैधानिक बनाती हैं। सबसे पहले, उनके अनुसार आदेश पूरी जनता के खिलाफ निर्देशित किया गया है, हालांकि

मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसे एक औद्योगिक विवाद के गंभीर मोड़ के कारण घोषित किया गया था।

तर्क देता है कि इस पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है

सामान्य रूप से जनता की आवाजाही जब यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि जनता के सदस्यों के गतिविधियों में शामिल होने की संभावना थी

सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक। यह सच है कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि आम जनता औद्योगिक विवाद में शामिल थी। यह भी सच है कि आदेश के संचालन से जनता के सदस्यों की आवाजाही विशेष क्षेत्रों में प्रतिबंधित हो जाएगी। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कानून और व्यवस्था के प्रभारी लोगों के लिए सदस्यों के बीच अंतर करना बेहद मुश्किल होगा।

जनता और दो कपड़ा संघों के सदस्य और इसलिए, आदेश में निर्दिष्ट विशेष गतिविधियों को रोकने या प्रतिबंधित करने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका उन प्रतिबंधों को आम तौर पर जनता पर लागू करना होगा।

23. इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि किसी भी प्रदर्शन या धरना आदि को प्रतिबंधित करने के लिए शांति भंग होने की आशंका ही पर्याप्त है। यह भी था

प्रस्तुत किया कि Cr.P.C की धारा 144 ने अग्रिम कार्रवाई की अनुमति दी

और, इस प्रकार, इस प्रत्याशा पर भी कि एक विशेष प्रदर्शन से शांति भंग हो सकती है, धारा 144 के प्रावधानों को लागू करने और उचित निषेधात्मक आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त था। यह तर्क दिया गया था कि पारित किए गए विवादित आदेशों की जांच कानून के उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए और इन आदेशों को पारित किया गया था

सक्षम प्राधिकारी निर्दिष्ट करते हुए कि इस तरह के प्रदर्शनों आदि की संभावना थी

यातायात में बाधा डालना और मानव सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करना और सार्वजनिक शांति में बाधा डालना जो विशेष रूप से आदेशों के पैरा 2 में निम्नानुसार पढ़ा गया थाः

" और जबकि रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जो इंगित करती हैं कि ऐसी स्थितियां अब मौजूद हैं कि सार्वजनिक बैठकों का अप्रतिबंधित आयोजन,

क्षेत्र में जुलूसों/प्रदर्शनों आदि से यातायात में बाधा, मानव सुरक्षा के लिए खतरा और यातायात बाधित होने की संभावना है।

सार्वजनिक शांति "।

24. यह तर्क दिया गया था कि सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा विवेक का उचित उपयोग किया गया था जिन्होंने रिपोर्टों को देखा था

और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों/प्रदर्शनों के अप्रतिबंधित आयोजन से यातायात में बाधा, मानव सुरक्षा के लिए खतरा और सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी जैसी समस्याएं पैदा होने की संभावना

है। सहायक पुलिस आयुक्त ने इस प्रकार Cr.P.C की धारा 144 की आवश्यकता को पूरा किया। यह भी तर्क दिया गया कि मेजर किसान शक्ति संगठन बनाम था।

ऐसी सार्वजनिक सभाओं आदि पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया और आदेशों में लिखित अनुमति के बिना इन सभाओं आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरे शब्दों में, ऐसी कोई भी सार्वजनिक सभा, जुलूस, प्रदर्शन आदि आयोजित करने से पहले अधिकारियों की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती थी जो

प्रत्येक मामले के आधार पर विचार किया जाता है। 25. विद्वान ए. एस. जी. ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया कि नई दिल्ली राजधानी शहर थी और केंद्र सरकार की पूरी गतिविधि मुख्य रूप से मध्य दिल्ली क्षेत्र में स्थित थी जो संसद भवन, उत्तर और दक्षिण खंड, सेंट्रल विस्टा लॉन और इसके आसपास के इलाकों और क्षेत्रों जैसे पारित निषेधात्मक आदेशों के दायरे में आती थी। यह भी था

इस बात पर जोर दिया कि इस राजधानी शहर में नियमित रूप से विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की आधिकारिक यात्राएं होती हैं और किसी भी अप्रिय घटना के लिए

ऐसी सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों, प्रदर्शनों का परिणाम,

धरना आदि में देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने की क्षमता थी। विद्वान वकील ने इस हद तक तर्क दिया कि ऐसे उदाहरण हैं जहां, अतीत में, विदेशी राज्यों के विशेष प्रमुखों की यात्रा पर, ऐसे व्यक्तियों और उनकी यात्राओं के खिलाफ प्रदर्शन करने के प्रयास किए गए थे, जो दोनों देशों के बीच स्वस्थ द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने के लिए अनुकूल नहीं थे। उपरोक्त संदर्भ में प्रस्तुतिकरण यह था कि निषेधात्मक आदेशों से आच्छादित क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र था और इस तरह के प्रदर्शनों के साथ-साथ सार्वजनिक सभाओं आदि को नियमित तरीके से अनुमति नहीं दी जा सकती थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण, देश भर में स्थित संगठनों की ओर से दिल्ली आने और सार्वजनिक सभाएं, जुलूस, प्रदर्शन आदि करने की प्रवृत्ति थी। कृपया यह था कि यदि इस तरह के अनुरोधों को स्वीकार कर लिया जाता है तो मध्य दिल्ली में प्रतिदिन इन सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों/प्रदर्शनों की संख्या नौवीं होगी जो संसद में सामान्य कामकाज को खतरे में डाल देगी।

(जब भी यह सत्र में हो) और साथ ही उत्तर और दक्षिण खंड में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों का। 26. न्यायालय के अवलोकन के लिए प्रत्यर्थियों ने इन अनुरोधों से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जो अधिकारियों द्वारा प्राप्त किए गए थे, जिससे पता चलता है कि इस तरह के अनुरोधों की खतरनाक रूप से बड़ी संख्या प्राप्त हुई थी, जो स्पष्ट रूप से असहनीय थी। इस याचिका का समर्थन करने के लिए कि धारा 144 Cr.P.C के तहत सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा पारित आदेशों को पर्याप्त सामग्री द्वारा समर्थित किया गया था, अदालत के अवलोकन के लिए खुफिया रिपोर्टों के रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किए गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27. विद्वान एएसजी ने संलग्न अनुलग्नक का भी उल्लेख किया

इस रिट याचिका पर प्रत्यर्थियों की ओर से दायर जवाबी हलफनामे के साथ। अनुलग्नक आर-1 मार्च, 2015 से 5 अप्रैल, 2018 तक की अवधि के लिए प्रदर्शन के माध्यम से विरोध के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 186/353 के तहत दर्ज दंगों के मामलों का विवरण देता है, जो दर्शाता है कि अधिकांश समय इस तरह के विरोध/प्रदर्शन हिंसक हो रहे थे जिससे आई. पी. सी. के उपरोक्त प्रावधानों के तहत अपराध हो रहे थे। अनुलग्नक आर-2 उन व्यक्तियों का विवरण देता है जिन्हें उक्त अवधि के दौरान विरोध/प्रदर्शन करते समय दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत हिरासत में लिया गया था।

28. इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता को धरना, विरोध, मार्च, प्रदर्शन या सार्वजनिक सभा आयोजित करने का अधिकार है आदि जो उनका मौलिक अधिकार था। हालाँकि, इस तरह का अधिकार निरंकुश या निरपेक्ष नहीं था, बल्कि उचित प्रतिबंधों के अधीन था। नई दिल्ली के इस क्षेत्र में प्रचलित विचित्र परिस्थितियों के कारण, धारा 144 Cr.P.C के तहत पारित किए गए विवादित आदेश

जनता के उल्लंघन को रोकने के लिए केवल आवश्यकता का विषय नहीं था शांति, दंगा, झगड़ा, लेकिन जनहित और सार्वजनिक सुरक्षा में भी था। इस तरह के आदेश को मधु लिमये बनाम में निर्धारित सिद्धांतों की कसौटी पर कानूनी रूप से उचित कहा गया था। उप-मंडल मजिस्ट्रेट 4, जहाँ न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 24. ... .

. कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं है कि एक आदेश

धारा 144 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता पारित नहीं की जा सकती है।

सबूत लिए बिनाः श्रीमती जगरूपा कुमारी बनाम को देखें। चोबे

नारायण सिंह [37 करोड़ एलजे 95] जो हमारी राय में सही है

जिस तरह से शक्ति के प्रयोग के अवसर हैं उल्लेख किया है। सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी, दंगे और झड़पें

सार्वजनिक व्यवस्था के विध्वंस के लिए जब तक कि उन्हें समय पर रोका न जाए।

मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरनाक उपद्रवों को कम करने और रोकने में कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम चिंतित नहीं हैं।

खंड के इस भाग के साथ और इस भाग की वैधता की आवश्यकता नहीं है

4 (1970) 3 एस. सी. सी. 746 ज़दूर किसान शक्ति संगथन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

यहाँ तय करें। जहाँ तक इस खंड के अन्य भागों का संबंध है

संबंधित प्रमुख-शक्ति का नोट समाज को इससे मुक्त करना है

एक गंभीर चरित्र की गंभीर गड़बड़ी का खतरा। यह धारा उन लोगों के खिलाफ निर्देशित है जो दूसरों द्वारा कानूनी अधिकारों के प्रयोग को रोकने या सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरे में डालने का प्रयास करते हैं। यदि ऐसा है तो मामला उन प्रतिबंधों के भीतर आना चाहिए जिन्हें संविधान स्वयं सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या आम जनता के हित में अनुमेय मानता है। हालाँकि, हम कह सकते हैं कि झुंझलाहट को लाने के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर अनुपात लेना चाहिए।

सार्वजनिक व्यवस्था के हित में मामला।

29. बिमल गुरुन बनाम में इस दरबार के पीठ से निम्नलिखित अंश का भी संदर्भ दिया गया था। भारत संघ ', जिसमें यह

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" प्रदर्शन चाहे राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक या अन्य

प्रदर्शन जो सार्वजनिक, गड़बड़ी पैदा करते हैं या के रूप में काम करते हैं

उपद्रव, या कुछ ठोस सार्वजनिक या निजी शरारत पैदा करना या स्पष्ट रूप से धमकी देना, अनुच्छेद 19 (1) के तहत संरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं। एक प्रदर्शन एक सभा का रूप ले सकता है और तब भी इरादा व्यक्ति या प्राधिकारी को यह बताना है कि

जिनका संचार समूह की भावनाओं के लिए अभिप्रेत है

जो इकट्ठा होता है। चीजों की प्रकृति से एक प्रदर्शन विभिन्न रूप ले सकता है; "यह शोर और अव्यवस्थित हो सकता है", उदाहरण के लिए भीड़ द्वारा पथराव को हिंसक और अव्यवस्थित प्रदर्शन के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है और यह नहीं होगा।

स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 19 (1) (ए) या (बी) के भीतर होना चाहिए। ”

30. अनीता ठाकुर बनाम के मामले में निर्णय के निम्नलिखित अंशों को पढ़कर प्रस्तुतिकरण को मजबूत करने की मांग की गई थी। सरकार

एम. एम. यू. और कश्मीर, जहाँ इस न्यायालय ने देखा कि अधिक बार

नहीं, ऐसे प्रदर्शनकारी गुंडागर्दी, बर्बरता और यहां तक कि विनाश भी करते हैं

ग/निजी संपत्तिः

" हाथ में मुद्दे पर विज्ञापन करने से पहले, हम करना चाहेंगे

इन तरीकों के बारे में कुछ सामान्य टिप्पणियां

प्रदर्शन आकार ले रहे हैं। हाल की घटनाओं से पता चलता है कि

दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति जहां इस तरह के प्रदर्शन और विरोध बढ़ रहे हैं। हर तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैंः सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर

3) एससीसी ऑनलाइन एससी 233

विभिन्न प्रकार के मुद्दों और समाज के विभिन्न वर्गों की मांगों पर। यह भी एक आम आधार बनता जा रहा है कि जब भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन या धरना आदि होते हैं तो धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय भाषा, जाति और वर्ग विभाजन का अक्सर हिंसा भड़काने के लिए शोषण किया जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अक्सर ऐसे प्रदर्शनकारी गुंडागर्दी, बर्बरता और यहां तक कि सार्वजनिक/निजी संपत्ति को भी नष्ट कर देते हैं। इस प्रक्रिया में, जब पुलिस नियंत्रित करने की कोशिश करती है, तो

प्रदर्शनकारी/भीड़ हिंसक रूप से पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाती है। अनियंत्रित समूह और हिंसक प्रदर्शन इतने आम हैं कि लोग आ गए हैं उन्हें भारतीय लोकतंत्र के एक उपांग के रूप में देखना। इन सभी स्थितियों के परिणामस्वरूप अक्सर पुलिस बल का प्रयोग करती है। यह बदले में पुलिस के खिलाफ जनता के गुस्से को बढ़ाता है। कश्मीर में ही ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अलगाववादी समूहों ने

हिंसा को उकसाया। इस परिदृश्य में पुलिस और कानून लागू करने वाली एजेंसियों का काम अधिक कठिन और नाजुक हो जाता है। इस तरह की हिंसा पर अंकुश लगाने या गैरकानूनी सभाओं को तितर-बितर करने के लिए, पुलिस को अपने कार्य को अत्यंत सावधानी, निपुणता और सटीकता के साथ पूरा करना होगा। इस प्रकार, एक ओर कानून और व्यवस्था को बहाल करने की आवश्यकता है और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनावश्यक बल या बिल्कुल आवश्यक से परे बल का उपयोग न किया जाए। पुलिसकर्मी

इन स्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। कई बार पुलिस कर्मियों को निपटने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी के कारण परिस्थितियाँ बदहाल हो जाती हैं या नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं।

हिंसा और उनके अधिकार के लिए चुनौती। पुलिस नियमावली और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के रूप में विभिन्न दस्तावेज हैं जो अनावश्यक बल के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं और यह अनिवार्य करते हैं कि बल का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह बिल्कुल आवश्यक हो।

उपयोग किए जाने पर भी, यह स्थिति के लिए न्यूनतम और आनुपातिक होना चाहिए और जीवन और संपत्ति के लिए खतरा कम होते ही इसका उपयोग बंद कर दिया जाना चाहिए।

37. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) और (बी) सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार देता है।

जिसमें सार्वजनिक प्रदर्शन करना भी शामिल है, लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन भी, लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन जब हिंसक हो जाता है और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है और लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचाता है, तो यह अनुच्छेद 19 (1) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों से परे जाता है और कानून के तहत दंडनीय अपराध बन जाता है। ”

[जोर दिया गया] मेजर किसान शक्ति संगथन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

कि जुलूस, प्रदर्शन और आंदोलन आदि नियमित विशेषता बन गए थे, जिसे एनजीटी द्वारा नोट किया गया था। 32. इससे पहले कि हम दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत संबंधित दलीलों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें और निर्णय लें

इससे जंतर मंतर क्षेत्र के संदर्भ में वरुण सेठ के मामले में एनजीटी के 5 अक्टूबर, 2017 के फैसले में निहित चर्चा पर ध्यान देना उचित होगा। उक्त निर्णय में चर्चा का दायरा, हालांकि दीवानी अपीलों में चुनौती का विषय है, जमीनी वास्तविकताओं की अधिक व्यापक तस्वीर देगा।

33. उक्त निर्णय का विषय जंतर मंतर रोड पर प्रदर्शनों आदि तक सीमित है, विशेष रूप से खंड

अशोक रोड और संसद मार्ग के बीच। यह भी ध्यान देने योग्य है कि एनजीटी के समक्ष मूल आवेदन उन निवासियों द्वारा दायर किया गया था जिनके पास उपरोक्त खंड पर अपने आवासीय घर हैं क्योंकि विचाराधीन क्षेत्र को मास्टर प्लान, 2021 के तहत भी आवासीय क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, उक्त सड़क पर संसद सदस्यों के आवास के साथ-साथ केरल के राज्य अतिथि गृह, दिल्ली मेट्रो निगम का कार्यालय और कुछ राजनीतिक दलों के कार्यालय भी हैं।

गैर-राजनीतिक। इस तरह के विरोध अस्थायी या क्षणिक नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों ने इसके बजाय तंबू और अन्य व्यवस्थाएं की हैं जहां लोगों के पास है कई महीनों से रह रहे हैं। कुछ इमारतें सड़क के किनारे बनी हुई हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के आयोजक व्यवस्था करते हैं

ऐसी अस्थायी संरचनाओं पर भोजन, आवास आदि के लिए। उन्होंने क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर लाउड स्पीकर भी लगाए हैं। एन. डी. एम. सी. ने केवल दो मोबाइल शौचालयों का प्रावधान करके स्वच्छता और सफाई की सुविधा प्रदान की है। आवेदन के साथ संलग्न तस्वीरें स्पष्ट रूप से गरीब निवासियों की दुर्दशा को दर्शाती हैं, जिनमें से कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं, जो पिछले कुछ वर्षों से अस्वच्छ परिस्थितियों, कूड़े, भीड़, ध्वनि प्रदूषण आदि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा, सड़क के उक्त हिस्से पर पुलिस/अर्धसैनिक बल के कर्मी, जो विरोध के कुछ दिनों में लगभग 200 से 400 तक जाते हैं, भी क्षेत्र में भीड़ को बढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रदान की जाने वाली स्वच्छता सुविधा सकल रूप से [2018] 11 एस. सी. आर. है।

अपर्याप्त जिसके परिणामस्वरूप मोबाइल वैन और आस-पास के क्षेत्रों से निकलने वाली गंध अस्वास्थ्यकर स्थिति और निवासियों और क्षेत्र में आने वाले अन्य लोगों के लिए कम सौंदर्य मूल्य पैदा करती है। इसके अलावा, कुछ प्रदर्शनकारी गोरक्षा की आड़ में गायों को सड़क के उक्त हिस्से में लाए हैं और उन्हें लगभग सोलह महीने तक रखे हुए हैं। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों द्वारा स्थल पर एक बैलगाड़ी भी रखी गई थी। 35. भारी विरोध दिवस के दौरान, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके जंतर मंतर की सड़क को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया, जिससे लोगों को मजबूर होना पड़ा।

क्षेत्र के निवासी अपने वाहन कहीं और पार्क करते हैं और पैदल अपने आवास तक जाते हैं। यह वरिष्ठ नागरिकों और छोटे बच्चों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। वास्तव में, चिकित्सा आपात स्थितियों के उदाहरण थे जहाँ पुलिस को प्रदर्शनकारियों, पुलिस और भीड़ के वाहनों के माध्यम से एम्बुलेंस को हल करना पड़ा। क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों के साथ-साथ वाहनों की उपस्थिति यातायात जाम का कारण बनती है।

36. प्रदर्शनकारी लगातार ढोल, संगीत, माइक्रोफोन आदि बजाते हैं जिससे जगह की शांति भंग होती है। शोरगुल।

उपरोक्त लाउडस्पीकरों आदि के कारण उक्त क्षेत्र से निकलने से निश्चित रूप से ऐसा शोर उत्पन्न होता है जो अनुमेय सीमा से अधिक है। के तहत

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और आवासीय क्षेत्र के लिए शोर के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के साथ दी गई अनुसूची दिन के समय 55 डी. बी. (ए) ले. क्यू. और रात में 45 डी. बी. (ए) ले. क्यू. है। 37. एनजीटी ने जंतर मंतर रोड पर इस तरह के धरनों और विरोध प्रदर्शनों के प्रतिकूल प्रभाव को निम्नलिखित तरीके से नोट कियाः

" 35. लेकिन जंतर मंतर और उसके आसपास के क्षेत्र, जो कभी अपने इतिहास के लिए जाने जाते थे, अब प्रदर्शनकारियों और प्रदर्शनकारियों के लिए युद्ध का मैदान बन गए हैं।

आंदोलनकारी। यह क्षेत्र प्रदर्शनकारियों द्वारा भरी गई गंदगी और कूड़े के लिए एक स्थायी स्थान बन गया है। एन. डी. एम. सी. और पुलिस प्राधिकरण जैसे अन्य नागरिक प्राधिकरण भी जंतर मंतर और उसके आसपास स्वच्छता बनाए रखने में बुरी तरह विफल रहे हैं। उन्होंने और अधिक उपेक्षा की है और शांति सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं और

इलाके के निवासियों के लिए आरामदायक जीवन। याचिकाकर्ताओं ने कई तस्वीरों [अनुलग्नक पी 1 (कोली)] को रिकॉर्ड पर रखा है जो सार्वजनिक भाषण, अस्थायी आश्रय, रहने के लिए तंबू देने के लिए बनाए गए स्थायी ढांचे को दर्शाता है। वे इलाके में पनप गए हैं। वाहन भोजन, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ वितरित कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी भोजन बना रहे हैं, अपने कपड़े धो रहे हैं और सुखा रहे हैं, आदि।

ज़दूर किसान शक्ति संगथन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

विरोध के रूप में स्थान को नामित करने के लिए प्रशासनिक आदेश/अनुमति जमीन)। हाल के दिनों में, विरोध/धरने के साथ-साथ उनका गठन करने वाले लोगों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है।

नतीजतन, यह न केवल निवासियों के अपने-अपने आवासों से प्रवेश/निकास को प्रतिबंधित करता है, बल्कि कई बार वाहनों के पूरी तरह से रुकने के कारण केवल पैदल ही निवासियों तक पहुंचने की अनुमति देता है। ऐसे उदाहरण हैं जहाँ रहने वाले लोगों के आगंतुक रहते हैं पुलिस द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण क्षेत्र में अपने वाहनों को जंतर मंतर रोड के दूसरे छोर पर खड़ा करना पड़ता है। वास्तव में सड़क पर कोई जगह नहीं बची है क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उस पर कब्जा कर लिया है और पुलिस व्यक्तिगत रूप से गतिविधि की निगरानी कर रही है।

निवासियों के घरों के बाहर खड़े/बैठे पाए जाते हैं।

इसके अलावा, पूरी सड़क पर कूड़ा है और एन. डी. एम. सी. के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, इसे साफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि

क्षेत्र में बड़ी भीड़ जमा हो रही है और भोजन आदि खा रही है और विरोध स्थल पर मोबाइल शौचालय/स्वच्छता सेवाओं का उपयोग करना। ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो गोरक्षा के नाम पर गायों को बैलगाड़ियों के साथ जंतर-मंतर पर ला रहे हैं

मंतार सड़क समस्या को बढ़ाती है, जिसका सामना निवासियों को लंबे समय से करना पड़ रहा है।

जिन निवासियों को उपरोक्त समस्या का सामना करना पड़ता है, उनमें उनके बच्चे और परिवार के वृद्ध सदस्य शामिल हैं। लगातार ज़ोर से साल भर विरोध स्थल से होने वाले शोर-शराबे बच्चों को उनकी परीक्षा के समय भी गंभीर रूप से परेशान करते हैं। इसी तरह, बुजुर्ग निवासियों को भी शोर उम्र से संबंधित समस्या का पता चला है। जंतर मंतर रोड के निवासी पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों की दया पर निर्भर हैं।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

37. सामाजिक समूहों, गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक समूहों और राजनीतिक दलों द्वारा जुलूस, प्रदर्शन और आंदोलन एक नियमित विशेषता बन गए थे, इतना कि जंतर मंतर रोड पर रोज धरना, आंदोलन आदि आयोजित किए जा रहे हैं। नतीजतन, जंतर मंतर रोड पर याचिकाकर्ताओं और अन्य सभी निवासियों का जीवन हर साल कुछ हजारों के धरने से लगातार बाधित हो रहा है। ये धरना और विरोध प्रदर्शन लगभग जारी हैं।

पूरी जंतर मंतर सड़क, दोनों तरफ और यहां तक कि सड़क की चौड़ाई के पार भी। जंतर मंतर रोड पर धरना नॉन-स्टॉप नारों के साथ जुड़े हुए हैं और यह प्रदर्शनकारियों के लिए निवास स्थान के रूप में विकसित हुआ है जो अपने साथ तंबू और अस्थायी आश्रय भी ले जाते हैं। इसका उपयोग प्रदर्शनकारियों द्वारा सोने, नहाने, खाना पकाने आदि के लिए एक स्थान के रूप में किया जाता है और वे वहां रहने के लिए रहते हैं।

महीनों एक साथ। इन सबसे ऊपर, धरने पर बैठे लोग, जुलूस और आंदोलनों को जारी रखते हुए लगातार लाउड स्पीकर बजाते हैं, न केवल दिन में बल्कि देर रात तक भी।

38. अब तक कई वर्षों से प्रदर्शनकारियों, आंदोलनकारियों और धरना/जुलूसों की निरंतर गतिविधि, यह स्थल उस इलाके के निवासियों के लिए लगभग नरक बन गया है जो रात में नहीं सो सकते हैं, दिन में ध्वनि प्रदूषण का सामना करते हैं, उन्हें अपने आवासों में प्रवेश करने और आगे बढ़ने में कठिनाई होती है, कहने के लिए बहुत कम, अपने वाहनों को अपने आवास तक ले जाने के लिए। कई बार, जब धरना, आंदोलन, जुलूस आदि अपने चरम पर होते हैं, विशेष रूप से संसद सत्र के दौरान, निवासियों को रोका जाता है या बड़ी कठिनाई के साथ वे अपने आवासों तक चलने में सक्षम होते हैं क्योंकि

कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस बैरिकेड्स लगाती है और यहां तक कि सड़क को भी बंद कर देती है। जंतर मंतर रोड पर इस तरह की स्थिति होने के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

उस क्षेत्र में रहने वाले बच्चों/छात्रों के लिए बनाया गया। स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और इसके परिणामस्वरूप निवासियों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं क्योंकि उनमें से कई को अब उच्च रक्तचाप है।

हार्ट रोगी बन गए हैं और वृद्ध व्यक्ति अब पुरानी बीमारियों से पीड़ित होने लगे हैं। जंतर मंतर से शुरू होकर संसद तक जाने वाली सड़क पूरी तरह से अलग प्रकृति के स्थान में बदल गई है जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने

ट्रकों, बसों आदि से यात्रा करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों से वहाँ आते हैं और वे आवासीय भवनों में और उनके आसपास अपने वाहन पार्क करते हैं। वास्तव में, इलाका पूरी तरह से बदल गया है जहां एक प्रमुख किसान शक्ति संगठन बनाम।

40. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा घंटों तक निरंतर नारों और लाउडस्पीकरों का उपयोग करना केवल एक उपद्रव से कहीं अधिक है। यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक वास्तविक और वर्तमान खतरा है। दिन और रात, घर पर, काम पर, और खेल में, शोर गंभीर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा कर सकता है। इस तनाव से कोई भी अछूता नहीं रह सकता है। हालाँकि हम शोर को अनदेखा करके उसे समायोजित करने की कोशिश करते हैं, वास्तव में, कान कभी बंद नहीं होता है और शरीर अभी भी प्रतिक्रिया देता है-कभी-कभी अत्यधिक तनाव के साथ, रात में एक अजीब आवाज़ के रूप में।

38. इसके बाद एनजीटी ने विभिन्न शोध और क्षेत्रीय अध्ययनों का हवाला देते हुए ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों पर चर्चा की। इसने विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का भी उल्लेख किया, जिनका उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाना है और सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों के निर्णय, जिसमें रामलीला मैदान घटना बनाम के मामले में निर्णय भी शामिल है। गृह सचिव, भारत संघ और अन्य ', जिसमें उचित नींद का अधिकार दिया गया है

मौलिक अधिकार के रूप में माना जाता है, जो अनुच्छेद 21 का एक पहलू है

संविधान। उस कानून को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, यह निष्कर्ष निकला कि जंतर मंतर रोड के निवासी सामान्य जीवन नहीं जी रहे हैं और उनकी कठिनाइयाँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तेज शोर के साथ इस तरह के प्रदर्शन भी विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं जैसे सुनने की समस्या, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप और हृदय से संबंधित अन्य गंभीर बीमारियों आदि का कारण बन रहे थे। एनजीटी ने पाया कि वे कानूनों के घोर उल्लंघन, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य के खतरे, स्वच्छता की कमी और राज्य के अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों का पालन न करने के कारण पीड़ित थे। यह सब उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है। ध्वनि प्रदूषण, स्वच्छता, प्रबंधन के संबंध में जंतर मंतर रोड पर पर्यावरणीय स्थितियाँ

कचरा और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुरी तरह से बिगड़ गया था। यह है स्थिति दिन-ब-दिन भयावह होता जा रहा था। उस आधार पर, एनजीटी ने निवासियों द्वारा दायर मूल आवेदन में योग्यता पाई।

39. एनजीटी ने यह भी नोट किया कि इससे पहले विरोध/धरना/आंदोलन हुए थे

केवल दिल्ली में अजमेरी गेट के पास रामलीला मैदान में अनुमति दी गई थी। उक्त क्षेत्र वह स्थान था जहाँ लोग उद्देश्यों के लिए इकट्ठा होते थे विरोध मार्च और जुलूस। यह वह जगह थी जहाँ से आंदोलनकारी

उन्हें अपने गंतव्य जैसे संसद भवन, मुख्यमंत्री के कार्यालय/आवास, गृह मंत्री आदि के लिए रवाना होना था। इसके बाद,

प्रदर्शनकारियों और आंदोलनकारियों के लिए इंडिया गेट के पास बोट क्लब युद्ध का मैदान बन गया। बाद में, पुलिस ने आंदोलन स्थल को बोट क्लब से जंतर मंतर स्थानांतरित कर दिया, जाहिरा तौर पर इस कारण से कि उक्त स्थान यातायात में बाधा पैदा कर रहा था। यह पुलिस विभाग ही था, जैसा कि जवाब में भी उल्लेख किया गया है, जिसने आंदोलनों, धरना, जुलूस शुरू करने आदि के लिए इस नए स्थान को कुल 5000 लोगों के लिए निर्धारित किया था और अधिक होने पर यह रामलीला मैदान होगा। इसके अलावा, समय बीतने के साथ, आंदोलनकारियों/प्रदर्शनकारियों के इकट्ठा होने और अपना जुलूस शुरू करने की जगह अब जंतर मंतर पर नहीं रह गई थी, बल्कि आ गई थी नीचे जंतर मंतर रोड तक, जो आज तक पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों, आंदोलनकारियों, धरना, अस्थायी संरचनाओं/शिफ्टों, प्रदर्शनों, नारों, विभिन्न वस्तुओं के प्रदर्शन और यहां तक कि गायों, भैंसों आदि जैसे जानवरों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए हुआ था क्योंकि आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों को अंततः संसद भवन की ओर बढ़ना था।

लेकिन अजीब बात है कि न तो पुलिस और न ही एन. डी. एम. सी. ने उन्हें जंतर मंतर से दूर जाने से रोकने की कोशिश की। नतीजतन, पूरी जंतर मंतर सड़क, जो इसकी कुल चौड़ाई तक फैली हुई है, प्रदर्शनकारियों द्वारा कवर कर ली गई है। सबसे बढ़कर, जब हजारों और हजारों लोगों का आंदोलन जंतर मंतर रोड पर इकट्ठा होता है, तो उनकी कुल संख्या की जांच करने और पांच हजार से अधिक होने पर उन्हें अजमेरी गेट पर रामलीला मैदान में भेजने के लिए कोई नहीं होता है।

42. हम पहले ही उस तर्क के सार को समझ चुके हैं जिस पर एनजीटी का निर्णय आधारित है। विचारणीय बातें जिसे एन. जी. टी. पर इस तरह का आदेश पारित करने के लिए प्रबल किया गया था, गोली के रूप में कहा जा सकता है। ये हैं:

ज़दूर किसान शक्ति संगथन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

• उक्त क्षेत्र में आवासीय घर होने के कारण लोग रहते हैं। द. क्षेत्र को "मास्टर प्लान 2021 के तहत भी आवासीय क्षेत्र" के रूप में चिह्नित किया गया है।

● निजी नागरिकों के घरों के अलावा, उक्त सड़क पर संसद सदस्यों के आवास और केरल के राज्य अतिथि गृह, दिल्ली मेट्रो निगम के कार्यालय के साथ-साथ कुछ राजनीतिक दलों के कार्यालय भी हैं।

जंतर मंतर रोड पर विरोध प्रदर्शन एक आंदोलन बन गया था।

नियमित विशेषता, जहाँ विरोध प्रदर्शन निरंतर आधार पर आयोजित किए जा रहे थे।

• इस तरह के विरोध अस्थायी या क्षणिक नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों ने किया था प्रदर्शन

तम्बू और अन्य व्यवस्थाएँ जहाँ लोग महीनों से एक साथ रह रहे थे। यहाँ तक कि सड़क के किनारे संरचनाएँ भी बनाई गई थीं, जहाँ भोजन, रहने आदि की व्यवस्था की जा रही थी।

• प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न स्थानों पर लाउड स्पीकर लगाए थे।

क्षेत्र।

• हर समय इन लाउड स्पीकरों का उपयोग, विषम समय सहित और रात के समय, ध्वनि प्रदूषण पैदा हो रहा था और ड्रम, संगीत और माइक्रोफोन आदि के लगातार बजने से यह प्रदूषण बिगड़ रहा था। यह ध्वनि प्रदूषण इससे कहीं अधिक था

सुसंगत नियमों में निर्धारित अनुमेय सीमाएँ।

• प्रदान की गई स्वच्छता सुविधा पूरी तरह से अपर्याप्त थी

जिसके परिणामस्वरूप मोबाइल शौचालय से दुर्गंध निकलती है, जिससे क्षेत्र में अस्वास्थ्यकर स्थिति पैदा होती है। • ये अस्वच्छ परिस्थितियाँ इस तथ्य से और बढ़ गईं कि गायों को भी प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क के उक्त हिस्से में लाया गया था और महीनों तक एक साथ रखा गया था।

• भारी विरोध के दिन, पुलिस पूरी तरह से रोक रही थी

जंतर मंतर रोड पर बैरिकेडिंग के परिणामस्वरूप, क्षेत्र के निवासियों को अपने वाहनों को कहीं और पार्क करने और पैदल अपने आवासों तक जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

• इससे निवासियों को अत्यधिक असुविधा हो रही थी और

विशेष रूप से, वरिष्ठ नागरिक और छोटे बच्चे।

• उनके उदाहरण चिकित्सा आपात स्थितियों के थे जहाँ पुलिस

प्रदर्शनकारियों के वाहनों के माध्यम से एम्बुलेंस को जोतना पड़ा,

पुलिस और भीड़।

• क्षेत्र में यातायात जाम एक आम घटना थी। सभी

उपरोक्त कारक निवासियों के स्वास्थ्य के लिए एक वास्तविक और वर्तमान खतरे का गठन करते हैं और गंभीर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव भी पैदा करते हैं।

43. अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों में, इस आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए, मुख्य आधार यह लिया गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और विरोध करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है ताकि वे अपनी शिकायतों को सत्ता में बैठे अधिकारियों के ध्यान में ला सकें ताकि संबंधित अधिकारी जागृत हो सकें और अपनी शिकायतों पर ध्यान दे सकें।

और सुधारात्मक उपाय करें। इसलिए, विचाराधीन क्षेत्र में प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता था। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर सबसे उपयुक्त स्थान है क्योंकि यह शक्ति के निकट है। यह भी तर्क दिया गया कि यदि अधिकारियों ने उचित स्वच्छता सुविधाएं प्रदान नहीं की थीं या वे गायों आदि को हटाने में विफल रहे थे, तो अधिकारियों की ओर से इस तरह की विफलता प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आधार नहीं हो सकती थी। इसके बजाय, एन. जी. टी. द्वारा अधिकारियों को इस संबंध में उचित उपाय करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एम्स द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि सामुदायिक ध्वनि प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव और स्वास्थ्य परिणाम केवल जंतर मंतर तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे दिल्ली तक फैले हुए हैं। इसलिए, ध्वनि प्रदूषण इस तरह के प्रतिबंध लगाने का आधार नहीं हो सकता है। यह भी तर्क दिया गया कि रामलीला मैदान, जहाँ अब विरोध प्रदर्शन की अनुमति है, संसद से बहुत दूर है। इसके अलावा, उक्त क्षेत्र चारों ओर यातायात की भीड़ से प्रभावित है और इसलिए, न केवल प्रदर्शनकारियों के लिए बल्कि उस क्षेत्र के यातायात के लिए भी बहुत अधिक असुविधा और कठिनाइयों का कारण बनेगा, जो कि

अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, कठिनाई वाले स्थान और क्रिकेट के मैदान से घिरा हुआ है।

44. उत्तरदाता सं। 1 7 ने विवादित आदेश में दिए गए कारणों पर जोर देकर उसका समर्थन किया।

यह प्रस्तुत किया गया था कि मेजर किसान शक्ति संगथन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

प्रदर्शन आदि करने का प्रदर्शनकारियों का मौलिक अधिकार निवासियों को ऐसी असुविधा और कठिनाइयाँ पैदा करने तक नहीं फैला है जिससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निवासियों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। 45. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि जंतर मंतर रोड पर प्रदर्शनकारियों को लाउडस्पीकरों के माध्यम से विरोध करने के मौलिक अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जा रही थी, लेकिन उक्त अधिकार राज्य द्वारा निवासियों के नागरिकों के अधिकारों को कम करने के लिए प्रदान नहीं किया जा सकता है, इसलिए न सुनने का अधिकार है। इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध का उक्त सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) से (6) में निहित है और तर्कसंगतता को उचित ठहराने के लिए राज्य पर सबूत का बोझ है। रामलीला मैदान घटना के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा है।

46. यह भी तर्क दिया जाता है कि केंद्र सरकार ने एमओईएफ एंड सीसी के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों को अधिसूचित किया है।

11.02.2000 , पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत, जिसमें ध्वनि उत्पादन और उत्पन्न करने वाले स्रोतों के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से औद्योगिक, आवासीय, वाणिज्यिक और मौन क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है। इन नियमों से होता है संचालन

लाउड स्पीकर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, शोर पैदा करने वाली प्रणाली आदि के उपयोग पर प्रतिबंध। परिवेशी वायु के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। स्रोत से शोर को नियंत्रित करने के लिए शोर के संबंध में गुणवत्ता मानक। प्रतिवादी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों और एम्स अस्पताल द्वारा किए गए अध्ययन द्वारा ध्वनि प्रदूषण से होने वाले हानिकारक प्रभावों का भी उल्लेख किया था जो सामुदायिक ध्वनि प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव और स्वास्थ्य परिणामों को दर्शाता है।

47. निम्नलिखित निर्णयों से भी सहायता ली गई।

" (i) ध्वनि प्रदूषण (V), Re v में। फोरम पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम; (2005) 5 एस. सी. सी. 733

((ii) अनिरुद्ध कुमार बनाम। दिल्ली नगर निगम और अन्य (2015) 7 एस. सी. सी. 779

((iii) राजस्थान राज्य बनाम। जी. चावला और डॉ. पोहुमल; 1959

पूरक (1) एस. सी. आर. 904

((iv) राबिन मुखर्जी और अन्य बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य

और अन्य; ए. आई. आर. 1985 कैल 222

7 (2012) 5 एससीसी 1 [2018] 11 एस. सी. आर.

(v) पी. ए. जैकब बनाम पुलिस अधीक्षक, कोट्टायम

और दूसरा; ए. आई. आर. 1993 केरल 1 "

और यह सुनिश्चित करना कि इन शिकायतों की सुनवाई संबंधित हलकों में हो, इसका मौलिक अधिकार है। यह अधिकार विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (1) (बी) के तहत निहित है। अनुच्छेद 19 (1) (ए) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसी तरह, अनुच्छेद 19 (1) (बी) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार देता है। एक साथ, ये दोनों अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि इस देश के लोगों को शांतिपूर्वक इकट्ठा होने और सरकार या अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई या निर्णय के खिलाफ विरोध करने का अधिकार है जो पसंद नहीं है। वैध असहमति एक है

किसी भी लोकतंत्र की विशिष्ट विशेषता। सवाल यह नहीं है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा उठाया गया मुद्दा सही है या गलत या यह उचित है या नहीं।

अनुचित। मौलिक पहलू वह अधिकार है जो लोकतंत्र में प्रभावित लोगों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए प्रदान किया जाता है। असहमत लोग अल्पमत में हो सकते हैं। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। एक विशेष कारण जो, पहली बार में, महत्वहीन या अप्रासंगिक प्रतीत हो सकता है, गति और स्वीकार्यता प्राप्त कर सकता है जब इसे विधिवत आवाज दी जाती है और बहस की जाती है। यही कारण है कि इस न्यायालय ने हमेशा

शांतिपूर्ण और व्यवस्थित प्रदर्शनों और विरोध प्रदर्शनों का मूल्यवान अधिकार।

49. बाबूलाल पराटे बनाम। महाराष्ट्र राज्य, यह न्यायालय

यह देखा गयाः

" जुलूस निकालने या सार्वजनिक रूप से आयोजित करने का नागरिकों का अधिकार

कला में बैठकें दाईं ओर से बहती हैं। 19 (1) (ख) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना और क्षेत्र में कहीं भी जाने का अधिकार

भारत का "।

50. कामेश्वर प्रसाद बनाम। बिहार राज्य का न्यायालय था

मुख्य रूप से इस सवाल से निपटने के लिए कि क्या एक बनाने का अधिकार है प्रदर्शन अनुच्छेद 19 (1) (ए) और (बी) के तहत संरक्षित है और क्या कोई सरकारी कर्मचारी इस अधिकार का हकदार है। इस न्यायालय ने कहाः

" एक प्रदर्शन एक सभा का रूप ले सकता है और यहाँ तक कि

तब इरादा उस व्यक्ति या प्राधिकारी को सूचित करना है जिसे

8 1961 (3) एससीआर 423

9 9 (1962) सप्लीमेंट 3 एससीआर 369 मेजर किसान शक्ति संगथन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

संचार समूह की भावनाओं के लिए अभिप्रेत है जो

सभाएँ। यह आवश्यक रूप से इस प्रकार है कि प्रदर्शन जो गारंटीकृत स्वतंत्रताओं के अंतर्गत आता है

कला द्वारा। 19 (1) (ए) और 19 (1) (बी)। यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि

चीजों की प्रकृति एक प्रदर्शन विभिन्न रूप ले सकता है; यह शोर और अव्यवस्थित हो सकता है, उदाहरण के लिए पत्थर फेंकना

भीड़ को हिंसक और अव्यवस्थित स्थिति के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। प्रदर्शन और यह स्पष्ट रूप से कला के भीतर नहीं होगा। 19 (1) (अ)

जब समूह के सदस्य केवल कुछ बैज ड्राइंग पहनते हैं उनकी शिकायतों पर ध्यान दें।

51. सर्वोच्च न्यायालय भी अधिकार को बरकरार रखने से आगे निकल गया है

मौलिक अधिकार के रूप में विरोध करना और यह अभिनिर्धारित किया है कि राज्य को सहायता करनी चाहिए

नागरिकों के एकत्र होने का अधिकार। संविधान पीठ के फैसले में, हिम्मत लाल के. शाह बनाम। अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त ने सड़कों पर सार्वजनिक सभाओं को विनियमित करने वाले बॉम्बे पुलिस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार ने विनियमन की शक्ति जिसमें उपद्रव या यातायात में व्यवधान से बचने के लिए सड़कों या राजमार्गों पर सार्वजनिक सभाओं का निषेध शामिल है और इस प्रकार, यह सड़कों पर एक सार्वजनिक सभा प्रदान कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार सार्वजनिक सभाओं के लिए सभी सड़कों या खुले क्षेत्रों को बंद कर सकती है, इस प्रकार मौलिक अधिकार से इनकार कर सकती है जो अनुच्छेद 19 (1) (ए) और (बी) से बहता है। न्यायालय ने कहाः

या सभा करने पर प्रतिबंध लगाकर सभा करने का अधिकार छीन लिया हर सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान। राज्य केवल कर सकता है

प्रत्येक नागरिक के सभा करने के अधिकार की सहायता के लिए विनियम और कर सकते हैं

केवल सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिबंध लगाएँ।

XXX

XXX

XXX

70. खुले स्थानों और सार्वजनिक सड़कों पर सार्वजनिक सभा एक हिस्सा है।

हमारे राष्ट्रीय जीवन की परंपरा। स्वतंत्रता से पहले के दिनों में

इस तरह की बैठकें खुली जगह और सार्वजनिक सड़कों पर आयोजित की गई हैं। और लोग इसे अपने विशेषाधिकारों का हिस्सा मानने लगे हैं।

हर खुले स्थान का एकाधिकार जिस पर एक बाहरी बैठक हो सकती है आयोजित किया जाए। यदि, इसलिए, राज्य या नगरपालिका संवैधानिक रूप से कर सकती है

अपनी दोनों सड़कों और पार्कों को पूरी तरह से सार्वजनिक बैठकों के लिए बंद कर दें,

इसकी सड़कों पर यातायात और इसके उद्यानों में जनता के मनोरंजन के लिए, इसके अन्य दायित्वों के साथ, सार्वजनिक सभा के गारंटीकृत अधिकार की रक्षा के लिए सार्वजनिक चर्चा के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करना। न्यायमूर्ति होम्स द्वारा की गई धारणा यह है कि एक शहर अपने उद्यानों और राजमार्गों का उसी अर्थ में मालिक है और उसी अधिकार के साथ जो एक निजी मालिक अपनी संपत्ति का मालिक है और जिसे चाहे उसे बाहर करने या स्वीकार करने का अधिकार है। यह सार्वजनिक सड़कों और उद्यानों के समर्पण की अवधारणा के अनुरूप नहीं हो सकता है। उद्यानों का आयोजन जनता के लिए किया जाता है और सार्वजनिक सड़कों का भी आयोजन जनता के लिए किया जाता है। यह निस्संदेह सच है कि राज्य या स्थानीय प्राधिकरण इसका विनियमन कर सकता है। अपने सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संपत्ति। सड़कें और सार्वजनिक उद्यान मुख्य रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए मौजूद हैं और सार्वजनिक सड़कों पर बोलने और इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के निर्बाध अभ्यास द्वारा प्रचारित सामाजिक हित को सामाजिक हित के अनुरूप होना चाहिए।

भाषण का निषेध और विनियमन सुरक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन उचित विनियमन के बीच एक संवैधानिक अंतर है।

और मनमाना बहिष्कार "।

52. पुलिस कार्रवाई सेंट प्रदर्शनकारियों की वैधता के संबंध में निर्णय देते हुए, इस न्यायालय ने फिर से दोहराया कि विरोध करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को गारंटीकृत एक मानसिक अधिकार है। में

रामलीला मैदान घटना (उपरोक्त) के संबंध में न्यायालय ने कहा कि जी. एच. टी. से लेकर सभा तक और शांतिपूर्ण आंदोलन एक संकीर्ण प्रणाली की बुनियादी विशेषताएं हैं और सरकार को अधिकारों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिएः

" 245. बोलने की स्वतंत्रता, इकट्ठा होने और धरना देकर प्रदर्शन करने का अधिकार और शांतिपूर्ण आंदोलन एक लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी विशेषताएं हैं। हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश के लोगों को सरकार के निर्णयों और कार्यों के खिलाफ आवाज उठाने या सामाजिक या राष्ट्रीय महत्व के किसी भी विषय पर सरकार के कार्यों पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार है। सरकार को वास्तव में ऐसे अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह राज्य का प्रचुर कर्तव्य है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग में सहायता करे, जैसा कि इसके व्यापक अर्थों में समझा जाता है, न कि किसान शक्ति संगठन v.

भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

अपने कार्यपालिका का प्रयोग करके ऐसे अधिकारों के प्रयोग को विफल करना या विधायी शक्तियाँ और आदेश पारित करना या उस पर कार्रवाई करना

बहुत सावधानी के साथ और मनमानेपन से मुक्त प्रयोग किया जाता है। इसे होना ही चाहिए। तोड़-फोड़ करने के बजाय संवैधानिक अधिकारों के उद्देश्यों की पूर्ति करना

उन्हें "।

53. इसके अलावा, 'अनीता ठाकुर', न्यायालय ने मान्यता दी कि

अनुच्छेद 19 (1), (बी) के तहत पूर्ण विरोध एक मौलिक अधिकार था और

संविधान, उचित प्रतिबंधों के अधीन। आखिरकार ऐसा हुआ

कि जिसमें प्रदर्शनकारी पहले हिंसक हो गए, पुलिस ने इस्तेमाल किया

अत्यधिक बलः

" 12. हम इस बात की सराहना कर सकते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना उनकी शिकायतों को प्रसारित करने और यह देखने के लिए कि उनकी आवाज़ सुनी जाती है

संबंधित वर्ग लोगों का अधिकार है। ऐसा अधिकार हो सकता है

मौलिक स्वतंत्रता का पता लगाया जाता है जिसकी अनुच्छेदों के तहत गारंटी दी जाती है

19 (1) (संविधान के क), 19 (1) (ख) और 19 (1) (ग)। अनुच्छेद 19 (1) (ए)

इस देश के नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और,

इस प्रकार, यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि याचिकाकर्ता नारे लगा सकें,

यद्यपि शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से, आक्रामक का उपयोग किए बिना

भाषा। अनुच्छेद 19 (1) (बी) इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है और इस प्रकार,

पुनः, यह सुनिश्चित करता है कि याचिकाकर्ता शांतिपूर्ण मार्च निकाल सकें। "इकट्ठा होने का अधिकार" को एक वाक्पटुता में खूबसूरती से चित्रित किया गया है।

बयान है कि "एक निहत्थे, शांतिपूर्ण विरोध जुलूस में

"नमक सत्याग्रह" की भूमि, उपवास-से-मृत्यु और "करो या करो"

मरना "कोई न्यायिक अभिशाप नहीं है"। इसे शायद ही विस्तार की आवश्यकता है कि ए

किसी भी लोकतंत्र की विशिष्ट विशेषता वह स्थान है जिसके लिए स्थान दिया जाता है।

वैध असहमति। राजनीतिक का एक पोषित और मूल्यवान पहलू भारत में जीवन प्रत्यक्ष रूप से शिकायतों को व्यक्त करने की परंपरा है।

कार्रवाई या शांतिपूर्ण विरोध। संगठित, अहिंसक विरोध जुलूस स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख हथियार थे, और

शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को अब एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है संविधान में।

13. उपरोक्त के बावजूद, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उपरोक्त अधिकार भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं। यही कारण है कि राज्य के अधिकारी कई बार विशेष क्षेत्रों और मार्गों को निर्दिष्ट करते हैं, उन्हें इस उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं -

सार्वजनिक सभाएँ आयोजित करना।

15. इस प्रकार, जहां एक ओर नागरिकों को बोलने का मौलिक अधिकार, शांतिपूर्ण विरोध जुलूस निकालने के उद्देश्य से इकट्ठा होने का अधिकार और स्वतंत्र आवाजाही के अधिकार की गारंटी है,

दूसरी ओर, इस तरह के अधिकार पर कानून द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आई. पी. सी. और सी. आर. पी. सी. के प्रावधान, जिन पर ऊपर चर्चा की गई है, वैधानिक प्रावधानों के रूप में हैं जो राज्य को यह सुनिश्चित करने की शक्ति देते हैं कि ऐसी सार्वजनिक सभाएं, विरोध, धरना या मार्च शांतिपूर्ण हों और वे "गैरकानूनी" न हों। साथ ही, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय, अधिकारियों को कानून की सीमाओं के भीतर कार्य करना चाहिए और वे ज्यादतियों में लिप्त नहीं हो सकते हैं।

54. इस प्रकार, विरोध करने के अधिकार को संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। यह अधिकार लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है।

शासन में एक जानकार नागरिक की भागीदारी पर। यह अधिकार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सार्वजनिक मामलों में प्रत्यक्ष भागीदारी को सक्षम करके प्रतिनिधि लोकतंत्र को मजबूत करता है जहां व्यक्ति और समूह असहमति और शिकायतें व्यक्त करने में सक्षम होते हैं, शासन में खामियों को उजागर करते हैं और राज्य के अधिकारियों के साथ-साथ एक शक्तिशाली संस्थाओं से जवाबदेही की मांग करते हैं। यह अधिकार भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय संदर्भ में हाशिए पर पड़े और कम प्रतिनिधित्व वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों के समर्थन में सहायता करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है।

55. साथ ही, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (1) (बी) के तहत उपरोक्त अधिकार अनियंत्रित और असीमित नहीं हैं।

दायरा। अनुच्छेद 19 (2) से (6) ऐसे अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध प्रदान करने वाले अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान करता है। इस संबंध में अनुच्छेद 19 (2) और (3) निम्नानुसार हैं:

" (2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई भी बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी, जहां तक कि ऐसी कानून इन पर उचित प्रतिबंध लगाती है। भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग, मेजर किसान शक्ति संगठन v.

राज्य, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में।

(3) उक्त खंड के उपखंड (बी) में कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, जहां तक वह भारत की संप्रभुता और अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में, उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने वाली कोई कानून लागू करता है, या राज्य को कोई कानून बनाने से रोकता है।

56. उपरोक्त प्रावधानों से यह समझा जा सकता है कि खंड (ए) में प्रदत्त बोलने के अधिकार और खंड (बी) में शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने के अधिकार का प्रयोग उचित प्रतिबंधों के अधीन किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में लगाए जा सकते हैं। इस कानूनी स्थिति को सभी पक्षों द्वारा भी स्वीकार किया जाता है। 57. इस रंग में, हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या जंतर मंतर मार्ग पर प्रदर्शनों आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना नियमों का उल्लंघन है।

संविधान के विरोधियों के अधिकार या यह 'सार्वजनिक व्यवस्था' के हित में एक उचित प्रतिबंध के बराबर होगा। एक आनुषंगिक और परस्पर संबंधित मुद्दा भी होगा, अर्थात्, जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन आदि आयोजित किए जाते हैं, क्या वे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत निवासियों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो यह एक और मुद्दा उठाएगा, अर्थात् दोनों अधिकारों का संतुलन। प्रदर्शनकारियों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (1) बी) और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निवासियों के अधिकारों के तहत, क्योंकि दोनों अधिकार हैं:

मौलिक अधिकार।

58. उपरोक्त संदर्भ में, यह बताना उचित होगा कि ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।

मौलिक अधिकार। स्थिति अंतर मौलिक अधिकारों, अंतर मौलिक अधिकारों पर टकराव हो सकती है और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, किसी व्यक्ति के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त एक मौलिक अधिकार उसके लिए गारंटीकृत अन्य मौलिक अधिकार के साथ टकराव में आ सकता है। ऐसी सभी स्थितियों में, न्यायालय को इस बात की जांच करनी होती है कि दोनों परस्पर विरोधी अधिकारों को संतुलित करते हुए व्यापक सार्वजनिक हित कहां निहित है। यह सर्वोपरि सामूहिक हित है जो अंततः प्रबल होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

59. हम निर्णय से निम्नलिखित चर्चा को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं।

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम में न्यायालय। भारत संघ, मंत्रालय

& ओआरएस। 11 .

" मौलिक अधिकारों का संतुलन

136. ऊपर हमने जो प्रस्तुत किया है उसकी सराहना करने के लिए, यह है

मौलिक अधिकारों को संतुलित करने पर ध्यान देना आवश्यक है। इसमें है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया कि

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकार को अलग रखा जाना चाहिए।

व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की तुलना में आधार जिसे मान्यता दी गई है

प्रेस की स्वतंत्रता को उच्च दर्जा दिया जाना चाहिए और व्यक्ति की उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अधिकार उक्त अधिकार के अनुरूप होना चाहिए। में।

इस संबंध में सकल पेपर्स (पी) लिमिटेड का एक अंश दिया गया है।

हमारी प्रशंसा की। इसमें कहा गया हैः (एयर पीपी। 313-14 , पैरा 36)

" 36. बोलने की स्वतंत्रता को केवल सीमित किया जा सकता है

राज्य की सुरक्षा के हित, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध

विदेशी राज्य, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या इसके संबंध में

अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाना। यह. व्यापार करने की स्वतंत्रता की तरह, इसमें कटौती नहीं की जा सकती है।

आम जनता का हित। यदि कोई कानून सीधे इसे प्रभावित करता है

चुनौती दी जाती है, यह कोई जवाब नहीं है कि इसके द्वारा लागू किए गए प्रतिबंध खंड (3) से (6) के तहत न्यायोचित हैं। के लिए, अनुच्छेद की योजना

19 अलग-अलग स्वतंत्रताओं की गणना करना है और फिर

उन प्रतिबंधों की सीमा निर्दिष्ट करें जिनके अधीन वे हो सकते हैं और वे उद्देश्य जिन्हें सुरक्षित करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। एक नागरिक

प्रत्येक स्वतंत्रता का आनंद लेने का हकदार है

एक साथ और खंड (1) एक स्वतंत्रता को पसंद नहीं करता है

एक और। यही इस खंड का स्पष्ट अर्थ है। यह इस प्रकार है -

इससे कि राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता जो प्रत्यक्ष रूप से

बेहतर आनंद प्राप्त करने के लिए भी एक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है

एक और स्वतंत्रता।

(जोर दिया गया)

137. उक्त पर अपना चिंतित ध्यान देने के बाद

मार्ग, हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि उपरोक्त मार्ग नहीं है

याचिकाकर्ताओं को सहायता, यहाँ के मुद्दे के लिए निर्वाह है

6) 7 एस. सी. सी. 221 ज़दूर किसान शक्ति संगथन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

और दूसरा, अनुच्छेद 21 के तहत। इसलिए, समरूपता की अवधारणा और एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का विरोध करना।

यह केवल एक और स्वतंत्रता के बेहतर आनंद का मामला नहीं है। में।

आचार्य महाराजश्री नरेंद्र प्रसादजी आनंदप्रसादजी

मौलिक अधिकार जलरोधक में पृथक रूप से मौजूद नहीं हो सकते हैं। कम्पार्टमेंट। किसी व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार हो सकता है -

एक अन्य मौलिक अधिकार के प्रयोग के साथ सामंजस्य में सह-अस्तित्व

दूसरों द्वारा और उचित और वैध अभ्यास के साथ भी

शक्ति

समग्र रूप से सामाजिक कल्याण। न्यायालय का कर्तव्य संतुलन बनाना है। विभिन्न हितों के प्रतिस्पर्धी दावों के बीच। डीटीसी वी में।

मजदूर कांग्रेस न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि संबंधित लेख

मौलिक अधिकार एक एकीकृत योजना के सभी भाग हैं

संविधान और उनके जल को मिलाया जाना चाहिए ताकि यह भव्य हो सके।

निर्बाध और निष्पक्ष न्याय का प्रवाह; सामाजिक, आर्थिक और

राजनीतिक, और स्थिति और अवसर की समानता जिसका अर्थ है

के बीच अनुचित या अनुचित भेदभाव का अभाव व्यक्ति या समूह या वर्ग। सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम।

दिल्ली विश्वविद्यालय इस न्यायालय ने आवश्यकता पर जोर देते हुए

अनुच्छेद 30 (1), इन अनुच्छेदों के अक्षर और भाव के बीच, अतीत की परंपराओं और वर्तमान की सुविधा, के बीच

समाज की स्थिरता की आवश्यकता और परिवर्तन की आवश्यकता।

60. आशा रंजन बनाम। बिहार राज्य और अन्य 1 2, का यह परीक्षण

दो अधिकारों को संतुलित करने के लिए जनहित को विंग तरीके से समझाया गया है:

" 57. उपरोक्त निर्णय इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि

दो व्यक्तियों के बीच उनके अधिकार को लेकर टकराव हो सकता है।

व्यापक लोक हित में और आगे कि, निश्चित रूप से परिस्थितियाँ, दिन की सार्वजनिक नैतिकता को आगे बढ़ाती हैं। इसे रखने के लिए

अलग तरह से, "अधिक सामुदायिक हित" या "लोगों का हित"

सामूहिक या सामाजिक व्यवस्था को पहचानने का सिद्धांत होगा और

जिसके अधिकार की रक्षा की जानी है, उसे स्वीकार करें।

58. इस संदर्भ में, रेव. स्टेनिस्लॉस बनाम में घोषणा का संदर्भ। एम. पी. की स्थिति शिक्षाप्रद होगी। उक्त मामले में, संविधान पीठ दो अपीलों पर विचार कर रही थी, एक मध्य प्रदेश से उद्भूत जो मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम, 1968 से संबंधित है और दूसरा उड़ीसा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1967 से संबंधित है। जहाँ तक उनका संबंध जबरन धर्मांतरण के निषेध और उसके लिए सजा से था, दोनों अधिनियम समान थे। वृहद पीठ ने मध्य प्रदेश मामले के तथ्यों को बताया जो अंततः उच्च न्यायालय तक गए। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस तर्क का कोई औचित्य नहीं है कि धारा 3,4 और 5 संविधान के अनुच्छेद 25 (1) का उल्लंघन करती हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि वे धाराएं "बलपूर्वक धर्मांतरण, धोखाधड़ी और प्रलोभन जैसी आपत्तिजनक गतिविधियों द्वारा धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाकर सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की समानता स्थापित करती हैं"। उड़ीसा अधिनियम को उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अधिकार से बाहर घोषित किया गया था।

अदालत। विवाद को समझने के लिए, न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्न पूछेः (रेव. स्टेनिस्लॉस मामला, एस. सी. सी. पी. 681 , पैरा 14)

" 14. .....

(1) क्या दोनों अधिनियमों का उल्लंघन था

संविधान के अनुच्छेद 25 (1) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार, और (2) क्या राज्य विधानमंडल उन्हें लागू करने के लिए सक्षम थे?

59. इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि प्रचार करने का अधिकार

किसी के धर्म का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार और इस तरह के अधिकार की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 25 (1) द्वारा दी गई है। उक्त विवाद पर विचार करने वाली वृहद पीठ ने कहाः (रेव. स्टेनिस्लॉस मामला, एस. सी. सी. पी. 682 , पैरा 20)

" 20. हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह इस अर्थ में है कि शब्द " अनुच्छेद 25 (1) में "प्रचार" का उपयोग किया गया है, जिसके लिए अनुच्छेद अनुदान देता है वह किसी अन्य व्यक्ति को अपने में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है।

धर्म, लेकिन अपने धर्म को उसके सिद्धांतों की व्याख्या करके प्रसारित या फैलाना। यह याद रखना होगा कि अनुच्छेद 25 (1) प्रत्येक नागरिक को "विवेक की स्वतंत्रता" की गारंटी देता है, न कि केवल एक विशेष धर्म के अनुयायियों को, और यह कि बदले में यह माना जाता है कि धर्म परिवर्तन का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

दूसरा व्यक्ति अपने धर्म में इसलिए क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का अपने धर्म में धर्मांतरण करता है, जो उसके धर्म के सिद्धांतों को प्रसारित करने या फैलाने के उसके प्रयास से अलग है, तो यह देश के सभी नागरिकों को दी गई "विवेक की स्वतंत्रता" की गारंटी को बाधित करेगा।

समान "।

और फिर सेः (एस. सी. सी पी. 682, पैरा 21)

" 21. ..... यह सराहना की जानी चाहिए कि अनुच्छेद में निहित धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी किसी एक के संबंध में नहीं है।

केवल धर्म, लेकिन सभी धर्मों को समान रूप से शामिल करता है, और एक व्यक्ति द्वारा इसका उचित रूप से आनंद लिया जा सकता है यदि वह अपने अधिकार का प्रयोग एक तरीके से करता है अन्य धर्मों का पालन करने वाले व्यक्तियों की समान स्वतंत्रता के अनुरूप। एक के लिए जो स्वतंत्रता है, वह दूसरे के लिए समान रूप से स्वतंत्रता है, और इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार जैसी कोई चीज नहीं हो सकती है।

अपना धर्म "।

60. रेव. स्टेनिस्लॉस मामले में उपरोक्त निर्णय स्पष्ट रूप से निहित है। हालांकि एक अलग संदर्भ में, कि एक के लिए जो स्वतंत्रता है वह दूसरे के लिए भी समान मात्रा में स्वतंत्रता है। धारणा

इसका स्पष्टीकरण तब किया जाता है जब न्यायालय ने कहा है कि यह याद रखना होगा कि अनुच्छेद 25 (1) अन्य नागरिकों को विवेक की स्वतंत्रता की गारंटी देता है न कि केवल विशेष धर्म के अनुयायियों को और किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अधिकार है सभी नागरिकों को गारंटी। अपने धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या करके अपने धर्म का प्रचार या प्रसार करने के अधिकार का मतलब किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करना नहीं है क्योंकि यह दूसरे के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है। हमने इस प्राधिकरण का उल्लेख किया है, जैसा कि उसने एक तरह से किया है,

"एक मौलिक अधिकार के अंतर-संघर्ष" पर ध्यान केंद्रित किया।

61. चाहे जो भी कहा जाए, ऐसी परिस्थितियाँ उभर सकती हैं जो अंतर-मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन के लिए आवश्यक हो सकती हैं। यह स्पष्ट रूप से समझा गया है कि दो मौलिक अधिकारों या अंतर-मौलिक अधिकारों, लागू किए गए सिद्धांतों को संतुलित करते हुए जो परीक्षण लागू किया जाना है, वह एक ही मौलिक अधिकार के बीच अंतर-संघर्ष में लागू किए जाने वाले सिद्धांत से अलग हो सकता है। विस्तार से, जैसा कि इस मामले में है, अभियुक्त को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई का मौलिक अधिकार है। इसी तरह, पीड़ित जो सीधे प्रभावित होते हैं और [2018] 11 एस. सी. आर. का हिस्सा भी हैं।

सामूहिक के घटक को निष्पक्ष सुनवाई का मौलिक अधिकार है। इस प्रकार, अधिकार का दावा करने या दावा करने के लिए वैधता रखने वाले दो व्यक्ति हो सकते हैं। वैधता का तथ्य एक प्राथमिक विचार है। यह याद रखना होगा कि कोई भी मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है और कुछ परिस्थितियों में इसकी सीमाएँ हो सकती हैं। इस प्रकार, राज्य द्वारा अनुमेय सीमाएँ लगाई जाती हैं। उक्त सीमाएँ कानून की सीमा के भीतर होनी चाहिए। हालांकि, जब एक ही अनुच्छेद के तहत प्रदत्त अधिकार का अंतर-टकराव होता है, जैसे कि इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई, जिस परीक्षण को लागू करने की आवश्यकता होती है, तो हम यह सोचने के लिए तैयार होते हैं कि यह "सर्वोपरि सामूहिक हित" या "न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास का पोषण" होगा। एक उदाहरण दिया जा सकता है। "वर्ग सम्मान" के नाम पर व्यक्तियों का एक समूह, जैसा कि विकास यादव बनाम में कहा गया है। यू. पी. राज्य किसी महिला की पसंद को कम या कम नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीवन में अपने साथी को चुनने में महिला का चयन एक वैध संवैधानिक अधिकार है। यह व्यक्तिगत पसंद पर आधारित है जिसे अनुच्छेद 19 के तहत संविधान में मान्यता प्राप्त है, और इस तरह के अधिकार से "वर्ग सम्मान" या "सामूहिक सोच" की अवधारणा के आगे झुकने की उम्मीद नहीं की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ग सम्मान की भावना है कोई वैधता नहीं है, भले ही सामूहिक रूप से किसी प्रकार की धारणा के तहत इसका अभ्यास किया जाए। इसलिए, यदि सामूहिक हित या सार्वजनिक हित जो सार्वजनिक हित की सेवा करता है और आगे किसी मौलिक अधिकार का दावा करने या दावा करने की वैधता रखता है, तो ही यह सामने रखा जा सकता है कि उनके अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए पीड़ितों के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अविभाज्य पहलू है और जब वे खुद के साथ-साथ सामूहिक रूप से इस अधिकार पर जोर देते हैं, तो जनहित की अवधारणा को बढ़ावा मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि यह "कानून के शासन" को आगे बढ़ाता है और बढ़ावा देता है। यह तुरंत स्पष्ट किया जा सकता है कि प्रधानता की कसौटी जो वैधता और जनहित पर आधारित है, प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर तय की जानी चाहिए और इसे अमूर्त शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए तथ्यों, प्रतिस्पर्धी हितों और संतुलन की अंतिम धारणा का अध्ययन करने की आवश्यकता होगी जो व्यापक सार्वजनिक हित को कम करेगा और कानून के शासन की महानता की सेवा करेगा। इस संबंध में, हमें एक प्राचीन कहावत याद दिलाई जाती हैः

" यदापी सिद्धम, लोक विरुद्धम

न अदारण्यम, न आचारण्यम "

मेजर किसान शक्ति संगथन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

उपरोक्त कहावत जनहित पर जोर देती है और इसका

कुछ व्यक्तिगत हितों पर महत्व और प्रधानता। इस प्रकार इसका सामान्य अनुप्रयोग नहीं हो सकता है, लेकिन उसी को संदर्भित करने का उद्देश्य यह है कि कुछ अवसरों पर इसे माना जा सकता है

उचित है।

62. ऐसी धारणा हो सकती है कि यदि प्रधानता के सिद्धांत का पालन करना है, तो व्यक्ति का अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यह ध्यान में रखना होगा कि पूर्ण विलुप्त होना संतुलन नहीं है। जब संतुलनकारी कार्य किया जाता है, तो निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार पूरी तरह से अक्षम नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ हद तक कटौती की जाती है जिसके द्वारा आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिलता है और साथ ही, पीड़ितों को लगता है कि निष्पक्ष सुनवाई की जाती है और अदालत आश्वस्त महसूस करती है कि ऐसे मामलों के संबंध में एक निष्पक्ष सुनवाई होती है। इसके अलावा, सामूहिक विश्वास

आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली में रखा गया है और बना हुआ है

लंगर डाला "।

61. निस्संदेह, लोगों का शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शन आदि करने का अधिकार अनुच्छेदों के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है

19 (1) (संविधान के क) और 19 (1) (ख)। सवाल यह है कि क्या निवासियों के लिए इसके कारण होने वाली गड़बड़ी आदि, जैसा कि विस्तार से उल्लेख किया गया है

एनजीटी, एक बड़ा जनहित है जो जंतर मंतर मार्ग पर प्रदर्शन करने के प्रदर्शनकारियों के अधिकारों से अधिक है और इसलिए, इस तरह के प्रदर्शनों पर अंकुश लगाने में उचित प्रतिबंध के बराबर है। यहाँ, हम सहमत हैं

एनजीटी द्वारा दिए गए विस्तृत तर्क के साथ कि जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके आयोजन से निवासियों को गंभीर असुविधा और उत्पीड़न हो रहा है। साथ ही, यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि काफी समय से जंतर मंतर को प्रदर्शन करने के लिए एक स्थान के रूप में चुना गया है और इसे अधिकारियों द्वारा भी निर्धारित किया गया था। आशा रंजन के कथन के अनुसार, एक अधिकार को प्रधानता का सिद्धांत नहीं दिया जा सकता है जिससे दूसरे का अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। पूर्ण विलुप्त होना संतुलन नहीं है। संतुलन का अर्थ होगा एक वर्ग के एक अधिकार को कुछ हद तक कम करना ताकि दूसरे वर्ग के अधिकार की भी रक्षा की जा सके। 62. हम महसूस करते हैं कि जंतर मंतर पर जुलूसों, प्रदर्शनों और आंदोलनों आदि के परिणामस्वरूप जो दयनीय स्थितियां पैदा हुईं, वे मुख्य रूप से इस कारण से थीं कि अधिकारियों ने इसे विनियमित करने के लिए आवश्यक उपाय नहीं किए। यदि अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और पर्याप्त कदम उठाए गए होते कि इस तरह के धरने और प्रदर्शन उनकी सीमा के भीतर आयोजित किए जाते, तो यह संतुलित [2018] 11 एस. सी. आर. होता।

प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ निवासियों के अधिकार। उदाहरण के लिए, धरना और विरोध प्रदर्शनों को लगभग पूरे जंतर मंतर मार्ग पर, दोनों तरफ और यहां तक कि सड़क की चौड़ाई तक फैलाने की अनुमति दी गई थी। इसके बजाय, इस उद्देश्य के लिए घरों आदि से पर्याप्त दूरी पर एक विशेष क्षेत्र निर्धारित किया जा सकता था ताकि सड़कों और रास्तों में अनावश्यक रुकावट न हो। इसी तरह, प्रदर्शनकारियों को बिना रुके नारे लगाने की अनुमति दी गई, रात में भी, और वह भी लाउडस्पीकरों आदि के उपयोग के साथ। अधिकारी कर सकते हैं

यह सुनिश्चित करना कि इस तरह के नारे ध्वनि प्रदूषण के मानकों के भीतर हों

अपने ट्रक/बसें आदि लाएं। और उन वाहनों को आवासीय भवनों में और उनके आसपास पार्क करें; प्रदर्शनकारियों को अपने तंबू लगाने और कई दिनों तक एक साथ रहने की अनुमति नहीं है; उन्हें दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों का उपयोग करके नहाने या अपने कपड़े धोने या खुले में शौच करने की अनुमति नहीं है। फुटपाथ; और कोई अस्वास्थ्यकर स्थिति पैदा न करें। अधिकारियों ने

इस तरह के प्रदर्शन की अनुमति देते समय, उन प्रदर्शनकारियों की संख्या की भी जांच कर सकते हैं, जिनके भाग लेने की संभावना है और ऐसे किसी भी प्रदर्शन आदि को आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर सकते हैं, जब संख्या असामान्य रूप से बड़ी होने वाली है, जो यदि अनुमति दी जाती है, तो निवासियों के लिए विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ पैदा करेंगे। ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं हमें। अंतर्निहित संदेश यह है कि कुछ श्रेणियों के शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शनों को सुरक्षित और विनियमित तरीके से अनुमति दी जा सकती है ताकि प्रदर्शनकारी अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें और साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवासियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो।

63. एनजीटी से पहले, अधिकारियों ने यह रुख अपनाया कि इस तरह के प्रदर्शनों की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र को इस तरह के प्रदर्शनों के लिए निर्धारित किया गया था

उद्देश्य। दूसरी ओर, निवासियों ने अपने द्वारा दायर याचिका में,

इन प्रदर्शनों के कारण उनके अधिकारों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला गया। दलों द्वारा अपनाए गए इस तरह के प्रतिकूल दृष्टिकोण में

एन. जी. टी. के समक्ष, एन. जी. टी. ने जमीनी वास्तविकताओं और इस तरह के प्रदर्शनों के कारण निवासियों के सामने आने वाली दयनीय स्थिति को देखा। हालाँकि एन. जी. टी. का यह विश्लेषण दोषरहित है, लेकिन हमें लगता है कि इसका समाधान प्रदर्शनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना नहीं था। इसके बजाय, एनजीटी ने अधिकारियों को इस तरह के उपायों को अपनाने का निर्देश दिया होगा (कुछ बड़े किसान शक्ति संगठन बनाम।

64. इस मोड़ पर, दोनों अधिकारों के संतुलन के पहलू पर चर्चा करते समय, हमें कुछ अन्य प्रासंगिक कारकों को भी ध्यान में रखना होगा। पहली बात यह है कि रामलीला मैदान का एक हिस्सा इस तरह के प्रदर्शनों आदि के लिए निर्धारित किया गया है। इसलिए, वह स्थान पहले से ही उपलब्ध है। रिट याचिका में याचिकाकर्ता और अपील में अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह है कि रामलीला मैदान नई दिल्ली क्षेत्र के उस हिस्से से बहुत दूर है जहां 'शक्ति' का केंद्रीकरण है और इसलिए, रामलीला मैदान में किसी दूर के स्थान पर विरोध और प्रदर्शन करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। इस बात पर जोर दिया गया कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य

प्रदर्शन और नारे लगाना यह है कि वे संबंधित व्यक्तियों तक पहुँचें ये किसके लिए हैं। यह सही हो सकता है। हालाँकि, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हम प्रौद्योगिकी के एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ व्यक्तियों के एक समूह द्वारा एक संबंधित आवाज कई तरीकों से सही क्षेत्रों तक पहुँच सकती है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर,

हमारे पास सोशल मीडिया और 'वॉट्सऐप', 'ट्विटर', 'इंस्टाग्राम' आदि जैसे विभिन्न ऐप हैं जो इस तरह की घटनाओं को फैलाने में कोई समय नहीं लेते हैं। दूसरा, हालांकि विरोध और प्रदर्शन करना एक स्वीकृत अधिकार है, साथ ही, कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि मुझे केवल एक विशेष क्षेत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार है। जनहित में इस तरह के प्रदर्शनों को विनियमित करते समय, विशेष क्षेत्रों को निर्धारित किया जा सकता है। दूसरी ओर, यह भी है यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि रामलीला मैदान इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। फिर से, पुरानी दिल्ली में यह जगह बहुत भीड़भाड़ वाले क्षेत्र का एक हिस्सा है और जब इस उद्देश्य के लिए इस क्षेत्र का उपयोग करने की बात आती है तो इसकी अपनी सीमाएँ होती हैं। इसलिए, कुछ अन्य क्षेत्र की आवश्यकता है। चूंकि, जंतर मंतर अधिकारियों द्वारा चुना गया क्षेत्र था और काफी समय से उपयोग में है, इसलिए कम से कम छोटे समूहों को शांतिपूर्ण सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों आदि के लिए इस क्षेत्र के एक सीमित हिस्से की अनुमति देकर और इस तरह से संतुलन बनाया जा सकता है कि किसी भी प्रकृति की कोई गड़बड़ी या असुविधा न हो।

चिंतित हैं।

65. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली को अन्य संबंधित एजेंसियों के परामर्श से ऐसे उद्देश्यों के लिए क्षेत्र के सीमित उपयोग के लिए एक उचित तंत्र तैयार करने का निर्देश देते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदर्शनों आदि को इस तरह से विनियमित किया जाए कि ये निवासियों

जंतर मंतर रोड या वहाँ स्थित कार्यालय। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए जा सकते हैं। हम यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी विशेष समूह द्वारा ऐसा प्रदर्शन आयोजित करने के लिए पुलिस आयुक्त (या उनके प्रत्यायोजित प्राधिकारी) से आवश्यक पूर्व अनुमति लेने का प्रावधान किया जा सकता है और ऐसे प्रस्तावों की जांच करते समय मानदंड निर्धारित किए जा सकते हैं जिन पर विचार किया जाएगा ताकि यह तय किया जा सके कि अनुमति दी जानी है या नहीं। इस तरह के दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए नई दिल्ली के पुलिस आयुक्त को दो महीने का समय दिया जाता है।

सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है कि यह उनके मौलिक अधिकार के तहत है संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (1) (बी)। साथ ही, इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता है कि इसके अभ्यास पर उचित प्रतिबंध हो सकते हैं

लिखित अनुमति '। इसके अलावा, ऐसे आदेश खुफिया रिपोर्टों के आधार पर पारित किए जाते हैं जो इंगित करते हैं कि क्षेत्र में 'सार्वजनिक बैठकों के अप्रतिबंधित आयोजन', जुलूस, प्रदर्शन आदि से यातायात में बाधा, मानव सुरक्षा के लिए खतरा और सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी होने की संभावना है। 67. कार्यकाल या ये क्रम और उसमें उपयोग की जाने वाली विशिष्ट भाषा निम्नलिखित दो विशेषताओं को लाती हैः

मेजर किसान शक्ति संगथन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. के. सिकरी, जे.]

(क) सार्वजनिक सभाओं का 'अप्रतिबंधित' आयोजन नहीं होना चाहिए,

जुलूस आदि। ; और

(ख) एक परिणाम के रूप में, आदेश में उल्लेख किया गया है कि इस तरह की सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों, प्रदर्शनों आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

लिखित अनुमति '।

68. इस प्रकार इन आदेशों को पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों के आयोजन पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।

प्रदर्शन आदि। इस तरह की गतिविधियों को व्यापक जनहित में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और इसलिए, व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी भी समूह को इस तरह के जुलूस और धरना देने से पहले, इसे पूर्व लिखित रूप से लेना होगा।

उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए अस्वीकार कर दिया गया, Cr.P.C की धारा 144 के तहत किए गए इस तरह के आदेश की वैधता के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है। हालाँकि, यह जमीनी वास्तविकता नहीं है। 69. इसमें कोई संदेह नहीं है कि Cr.P.C की धारा 144 के तहत पारित आदेश साठ दिनों की अवधि के लिए मान्य रहता है जो कि निर्धारित सीमा है।

वह प्रावधान। हालांकि, एक आदेश की समाप्ति से ठीक पहले, एक और समान आदेश पारित किया जाता है। इस तरह के बार-बार आदेश, निरंतरता में, हैं

निरंतरता की स्थिति पैदा की। उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो इस क्षेत्र की संवेदनशीलता और प्रचलित विशिष्ट/विशिष्ट स्थितियों के समान है, इसलिए दोहराए जाने वाले रूप में ऐसे आदेश आवश्यक हैं। अगर हम इस स्थिति को स्वीकार करते हैं और उस आधार पर आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब केवल प्रस्तावित सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों, प्रदर्शनों आदि को 'अप्रतिबंधित' तरीके से अनुमति न देकर निरंतर विनियमन करना होगा। हालाँकि, वास्तव में ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं है और इसलिए, जो स्थिति पैदा होती है, वह इन सार्वजनिक बैठकों, प्रदर्शनों, धरनाओं आदि को 'विनियमित' करने के बजाय पूरी तरह से 'प्रतिबंधित' करने के बराबर है।

70. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, यहाँ भी पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य आधिकारिक उत्तरदाता उचित रूप से तैयार कर सकते हैं। इस तरह के विरोध, प्रदर्शनों आदि को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश। जैसा कि उल्लेख किया गया है [2018] 11 एस. सी. आर.

ऊपर, धारा 144 के तहत जारी किए गए आदेश बिना अनुमति के प्रदर्शन आदि की प्रकृति में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं, जिसका अर्थ है कि कुछ मामलों में अनुमति दी जा सकती है। इसलिए, उन मापदंडों को निर्धारित करने के लिए उचित दिशानिर्देश हो सकते हैं जिनके तहत बोट क्लब क्षेत्र में अनुमति दी जा सकती है। यह एक बहुत ही प्रतिबंधात्मक और सीमित उपयोग हो सकता है, क्योंकि उत्तरदाताओं द्वारा बताई गई संवेदनशीलता और यह भी ध्यान में रखते हुए कि रामलीला मैदान उपलब्ध है और कुछ महीनों में जंतर मंतर रोड भी विनियमित तरीके से उपलब्ध होगी। इस प्रकार, प्रस्तावित दिशानिर्देशों में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या को विनियमित करने के प्रावधान शामिल हो सकते हैं।

संसद से न्यूनतम दूरी निर्धारित करते हुए प्रदर्शन

सदन, उत्तर और दक्षिण प्रखंड, उच्चतम न्यायालय, गणमान्य व्यक्तियों के आवास आदि। जिसके भीतर ऐसे किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी; कुछ मार्गों पर प्रतिबंध लगाना जहां से आम तौर पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, न्यायाधीश आदि गुजरते हैं; जब विदेशी गणमान्य व्यक्ति किसी विशेष स्थान पर जा रहे हों या विशेष मार्ग से गुजर रहे हों तो किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं देना; आग्नेयास्त्रों, लाठियों, भाले, तलवारों आदि की अनुमति नहीं देना। प्रदर्शनकारियों द्वारा ले जाने के लिए; उन्हें जानवरों को लाने या तंबू लगाने या रात भर रहने की अनुमति नहीं देना; ऐसे प्रदर्शनों के लिए समय सीमा निर्धारित करना; और ऐसे प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाना, आदि। चरम यातायात घंटों के दौरान। शुरुआत में, अधिकारी उन जुलूसों और प्रदर्शनों की अनुमति दे सकते हैं जो अपनी प्रकृति से ही हानिरहित हैं। सचित्र रूप से, स्कूली बच्चे किसी सामाजिक बुराई या दुखद घटना के खिलाफ शांतिप्रिय व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी सामाजिक कारण या मोमबत्ती मार्च को आगे बढ़ाने के लिए जुलूस निकालते हैं। ये हमारे द्वारा दिए गए कुछ उदाहरण हैं जो यह दर्शाते हैं कि इस तरह के प्रदर्शनों को हर अनुरोध को अस्वीकार करके पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के बजाय विभिन्न उपायों को अपनाकर प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

ऐसे प्रदर्शनों के लिए। इसलिए हम महसूस करते हैं कि इस क्षेत्र के संबंध में भी अधिकारी उचित और आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार कर सकते हैं।

हम नई दिल्ली के पुलिस आयुक्त को आज से दो महीने के भीतर अन्य अधिकारियों के परामर्श से यह कार्य करने का निर्देश देते हैं।

71. लिखित याचिकाओं और अपीलों का निपटारा उपरोक्त में किया जाता है।

शर्तें।

माम

लों का निपटारा किया गया।

निधि जैन